
अनन्या और लोकतंत्र की स्याही: दुनिया कैसे वोट करती है
विद्यालय
स्कूल छात्र परिषद चुनाव
हमारी आवाज़, बेहतर दुनिया
UNIVERSAL CHILDREN'S DAY
20 NOVEMBER
EVERY CHILD A STRONGER TOMORROW
लोग सरकार बदलाव
INDIA
USA
UK
BRAZIL
SOUTH AFRICA
A BRIGHTER FAIRER KINDER WORLD
VOTE
LEARN
DISCUSS
BELONG
DEMOCRACY
CONSTITUTION
CITIZENS
VOTE
DIFFERENT PEOPLE SAME RIGHTS

अध्याय का अवलोकन

इस पुस्तक में आप क्या सीखेंगे, उस पर एक त्वरित नज़र।

1. मतपेटी से पहले बराबरी 3
2. स्कूल चुनाव, सचमुच की जिम्मेदारी 8
3. भारत का विशाल चुनावी काम 13
4. गुप्त पसंद और दिखाई देती स्याही 18
5. ईवीएम के बटन के पीछे 23
6. हर मत गिना, फिर सीट किसकी? 28
7. जब महिलाओं ने मत का दरवाजा खोला 33
8. नॉर्वे और हिस्से के अनुसार सीटें 38
9. ब्राज़ील, भागीदारी और तुम्हारी अगली आवाज 43
10. स्रोत-पंजी: अपने भरोसे की जाँच करो 48



अनन्या

मतपेटी से पहले बराबरी

चुनाव से बड़ा विचार

मान लो तुम्हारे सामने दो सवाल हैं। पहला है, स्कूल की परिषद में कौन चुना जाए? दूसरा है, परिषद चुने जाने के बाद कि नियमों से काम करे? पहला सवाल चुनाव का है; दूसरा लोकतंत्र की गहराई तक पहुँचता है। यदि जीतने वाला दूसरों की बात सुनना बंद कर दे, तो वोट पड़ जाने भर से अच्छा लोकतंत्र नहीं बन जाता। इस पुस्तक की शुरुआत इसलिए मतपेटी से नहीं, बराबरी और जवाबदेही के विचार से होती है।

लोकतंत्र में सार्वजनिक सत्ता का औचित्य जनता से आता है। भारत का संविधान देश को लोकतांत्रिक गणराज्य कहता है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को अपने उद्देश्यों में रखता है। ये शब्द सजावट नहीं हैं। वे पूछते हैं कि निर्णय कौन करेगा, निर्णय से किस पर असर पड़ेगा और अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। चुनाव इस व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन संविधान, संस्थाएँ और नागरिक स्वतंत्रताएँ भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। [1]

तुम किसी समूह में बहुमत का निर्णय स्वीकार कर सकती हो और फिर भी पूछ सकती हो कि निर्णय न्यायपूर्ण है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि तीस विद्यार्थियों में से बीस तय करें कि बाकी दस को पुस्तकालय नहीं मिलेगा, तो संख्या बड़ी होने से अन्याय सही नहीं हो जाता। यह एक काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन इससे वास्तविक सिद्धांत समझ आता है: बहुमत को शासन करने का अधिकार मिल सकता है, दूसरों की बराबरी मिटाने का नहीं। [1]

इसीलिए लोकतंत्र को केवल सबसे ऊँची आवाज की प्रतियोगिता समझना भूल होगी। शांत बोलने वाला व्यक्ति, असहमति रखने वाला समूह और चुनाव हारने वाला उम्मीदवार भी अधिकार रखते हैं। तुम्हें किसी मत से असहमति हो सकती है, फिर भी उसके पक्ष में बोलने वाले का सम्मान करना संभव है। यह आसान हमेशा नहीं होता। लोकतांत्रिक अभ्यास का एक हिस्सा अपनी पसंद और सबके लिए उचित नियमों के बीच अंतर पहचानना है।

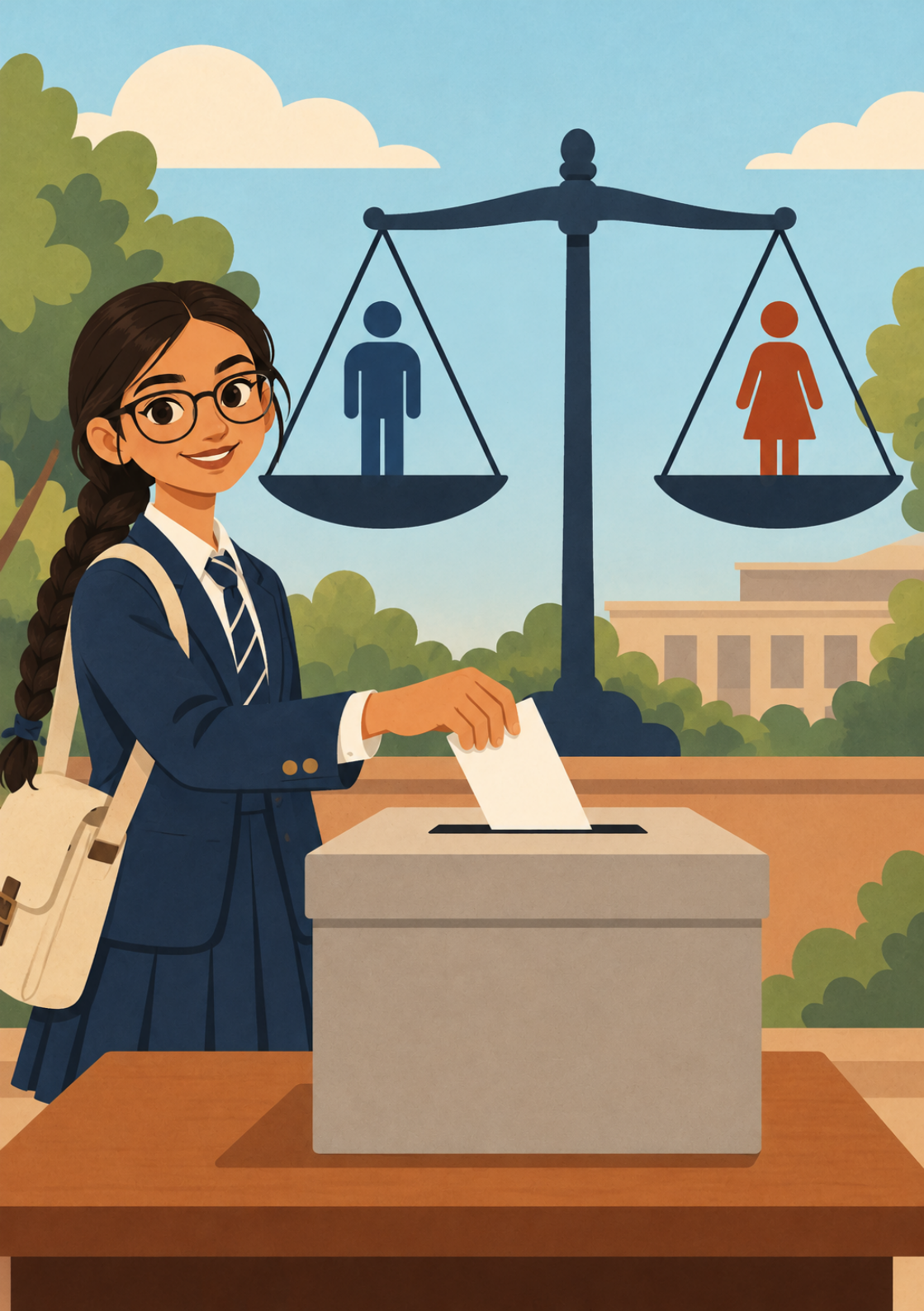

नागरिक, निवासी और मतदाता

नागरिकता, देश में रहना और मतदाता होना एक ही बात नहीं हैं। किसी देश में ऐसे निवासी हो सकते हैं जो उसके नागरिक न हों। कुछ नागरिक बच्चे होते हैं और अभी मतदान की आयु तक नहीं पहुँचे होते। भारत में लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के लिए सामान्य न्यूनतम मतदान आयु अठारह वर्ष है, और पात्र व्यक्ति का नाम संबंधित मतदाता सूची में होना चाहिए। इसलिए देश से संबंध और किसी विशेष चुनाव में वोट देने की पात्रता अलग सवाल हैं। [1][5]

तेरह वर्ष की आयु में तुम्हारे पास वयस्क चुनाव का मत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे विचार महत्वहीन हैं। बच्चों के अपने अधिकार हैं। तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर तुम्हारी राय सुनी जानी चाहिए और आयु तथा परिपक्वता के अनुसार उसे उचित महत्व मिलना चाहिए। राय सुने जाने का अधिकार हर निर्णय पर अंतिम नियंत्रण मिलने से अलग है; फिर भी यह केवल दिखावे की सुनवाई से कहीं अधिक माँगता है। [2]

भारत में मौलिक अधिकारों की भाषा भी ध्यान से पढ़ने योग्य है। संविधान के कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलते हैं और कुछ विशेष रूप से नागरिकों को। इसलिए यह कहना कि हर अधिकार केवल मतदाता का है, गलत होगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जैसे प्रावधान चुनावी पात्रता से बड़े हैं। जब तुम कोई अधिकार संबंधी दावा सुनो, तो पूछो कि वह किस व्यक्ति पर लागू होता है और उसका कानूनी आधार क्या है। [1]

एक छोटी तुलना मदद करती है। स्कूल की पुस्तकालय समिति का सदस्य बनने के नियम और पुस्तकालय से किताब लेने के नियम अलग हो सकते हैं। इसी तरह नागरिकता, मतदान, चुनाव लड़ना और सार्वजनिक सेवा प्राप्त करना अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं। तुलना पूरी तरह समान नहीं है, पर वह एक अच्छी आदत सिखाती है: एक शब्द सुनकर उससे जुड़े सभी अधिकार अपने-आप समान मान मत लो। पहले उस विशेष नियम की जाँच करो।

प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं

बड़े देश में हर नागरिक रोज हर सरकारी निर्णय पर सीधे मत नहीं दे सकता। भारत में लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, जो विधानमंडलों में कानून, सार्वजनिक खर्च और सरकार की जवाबदेही से जुड़े काम करते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाएँ अलग स्तरों की संस्थाएँ हैं। मतदान का अवसर इन प्रतिनिधियों को चुनने और बाद के चुनावों में उनके काम का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण साधन देता है। [1]

प्रतिनिधित्व का मतलब यह नहीं कि चुना गया व्यक्ति केवल अपने समर्थकों की बात सुने। चुनाव क्षेत्र में उसके विरोधी, मतदान न करने वाले और मतदान की आयु से छोटे बच्चे भी रहते हैं। सबकी जरूरतें एक जैसी नहीं होंगी। एक जिम्मेदार प्रतिनिधि को इन भिन्नताओं को समझना होता है। तुम भी स्कूल परिषद के बारे में सोचते समय यही कसौटी रख सकती हो: उम्मीदवार किसकी बात सुनने की तैयारी दिखाता है, केवल किससे वोट माँगता है नहीं।

मान लो किसी काल्पनिक परिषद में एक सदस्य खेल सामग्री चाहता है और दूसरा पुस्तकालय का समय बढ़ाना चाहता है। सीमित बजट में दोनों माँगें तुरंत पूरी न हों, तो लोकतांत्रिक काम केवल भाषण देना नहीं रह जाता। लागत पूछना, जरूरत समझना, विकल्प तलाशना और कारण बताना पड़ता है। अच्छे निर्णय में जीत का उत्साह और जिम्मेदारी का बोझ साथ आते हैं। यही वह जगह है जहाँ आकर्षक वादा वास्तविक काम से टकराता है।

प्रतिनिधियों की शक्तियाँ भी सीमित होती हैं। संविधान संस्थाओं की भूमिकाएँ तय करता है, न्यायालय कानूनी प्रश्नों की जाँच कर सकते हैं और सार्वजनिक आलोचना सरकार को उत्तर देने के लिए दबाव में रखती है। किसी एक पद को सारी शक्ति मिल जाना लोकतांत्रिक संतुलन नहीं है। इसलिए चुनाव के बारे में सीखते समय यह भी पूछना जरूरी है कि विजेता क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता और उसे कौन जवाबदेह बनाता है। [1]

असहमति का उपयोग

असहमति लोकतंत्र की खराबी नहीं, अक्सर उसकी उपयोगी सूचना होती है। यदि किसी प्रस्ताव से कुछ बच्चों के लिए भाग लेना कठिन हो जाता है, तो उनका विरोध छिपी समस्या दिखा सकता है। हर आपत्ति सही नहीं होती, लेकिन उसे सुनने से

नर्िणय बेहतर हो सकता है। तुम कसिी चर्चा में यह पूछ सकती हो: हम कसि बात पर सहमत हैं, कसि तथ्य पर अलग हैं और कसि मूल्य को अलग महत्व दे रहे हैं?

मान लो परषिद का प्रस्ताव है कि सभी घोषणाएँ केवल ऑनलाइन हों। यह सुवधिाजनक लग सकता है, लेकनि जनि वद्यिार्थयिों की नयिमति डजिटिल पहुँच नहीं है, वे पीछे छूट सकते हैं। यहाँ मतभेद आलस्य और मेहनत के बीच नहीं, अलग परस्थितियिों के बीच है। सूचना पट और मौखकि घोषणा जैसे वकिल्प जोड़ना समझौता भर नहीं, बेहतर भागीदारी का उपाय हो सकता है। लोकतांत्रकि सोच अदृश्य बाधाओं को दखिाई देने योग्य बनाती है।

इस पुस्तक में आगे तुम्हें मशीन, स्याही, गुप्त मतदान और अलग देशों के चुनावी नयिम मलिेंगे। हर जगह एक ही जाँच साथ रखना: क्या लोग स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं, क्या उनकी पसंद ठीक से दर्ज होती है और क्या नयिम सबके लएि समझने योग्य हैं? कसिी चमकदार उपकरण या पुराने रवािज को देखकर तुरंत नष्किर्ष मत नकिालना। लोकतांत्रकि गुणवत्ता प्रक्रयिा के कई हस्सिों से मलिकर बनती है।

अभी की छोटी पुनरावृत्ति यह है: चुनाव प्रतनिधिि चुनता है, लेकनि लोकतंत्र उस चयन को अधकिारों, सीमाओं और जवाबदेही से जोड़ता है। नागरकि होना और मतदाता होना अलग हैं; वोट की आयु से छोटे होने पर भी तुम्हारी गरमिा और आवाज बनी रहती है। अगला कदम इस वचिार को तुम्हारी समझ के नकिट लाना है—एक ऐसे स्कूल चुनाव की योजना बनाना जसिमें जीत से पहले न्यायपूर्ण नयिम दखिाई दें।

स्कूल चुनाव, सचमुच की जिम्मेदारी

बच्चों की आवाज का दिन

विश्व बाल दिवस हर वर्ष बीस नवंबर को मनाया जाता है। यह तारीख बच्चों के अधिकारों से जुड़े दो महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों से जुड़ी है: वर्ष 1959 की बाल अधिकार घोषणा और वर्ष 1989 में अपनाया गया बाल अधिकार अभिसमय। स्कूल इस दिन चर्चा या गतिविधि कर सकता है, लेकिन किसी खास तारीख पर स्कूल चुनाव कराना भारत का सार्वभौमिक कानूनी नियम नहीं है। यहाँ इसे सीखने के एक उपयोगी अवसर की तरह समझो। [2][3]

यदि इस अवसर पर परिषद का चुनाव रखा जाए, तो सबसे दिलचस्प सवाल केवल यह नहीं होगा कि कौन जीतेगा। पूछो कि कौन उम्मीदवार बन सकता है, किन बच्चों को वोट मिलेगा और परिषद सच में किन विषयों पर काम कर सकेगी। यदि परिणाम का कोई अर्थ ही न हो, तो मतदान उत्सव बनकर रह सकता है। अच्छी भागीदारी के लिए बच्चों को निर्णय का दायरा और उसकी सीमाएँ पहले से समझ आनी चाहिए।

बाल अधिकार अभिसमय बच्चों की बात सुनने को महत्व देता है, लेकिन इसका मतलब वयस्कों की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी समाप्त होना नहीं है। स्कूल परिषद खेल सामग्री के सुझाव दे सकती है; वह खतरनाक प्रयोग को केवल बहुमत के आधार पर सुरक्षित घोषित नहीं कर सकती। तुम्हारी आवाज का सम्मान और तुम्हारी सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। जिम्मेदार व्यवस्था दोनों को साथ रखने के तरीके बनाती है। [2]

इस अध्याय की चुनाव-योजना एक शैक्षिक मॉडल है, किसी खास स्कूल की वास्तविक घटना नहीं। अलग स्कूलों के नियम अलग हो सकते हैं। तुम्हारा काम इसकी नकल भर करना नहीं, इसके पीछे के प्रश्न समझना है। यदि तुम्हें कोई नियम अनुचित लगे, तो उसे बदलने का कारण दो। केवल अपने जीतने की संभावना बढ़ाने वाला बदलाव और सबके लिए न्यायपूर्ण बदलाव एक ही बात नहीं होते।

नियम पहले, उम्मीदवार बाद में



चुनाव की शुरुआत पात्रता की साफ सूची से करो। उदाहरण के लिए, किन कक्षाओं के विद्यार्थी मतदान करेंगे और किन पदों के लिए उम्मीदवार बन सकेंगे? नाम छूटने पर सुधार का रास्ता होना चाहिए। यदि सूची मतदान से ठीक पहले सामने आए, तो गलती ठीक करने का समय नहीं मिलेगा। छोटे चुनाव में भी अच्छी तैयारी का अर्थ यही है कि महत्वपूर्ण जानकारी इतनी जल्दी दी जाए कि लोग उस पर कार्रवाई कर सकें।

फिर तय करो कि पद का काम क्या होगा। यदि परिषद को केवल सुझाव देने की अनुमति है, तो उम्मीदवार स्कूल की पूरी समय-सारणी बदलने का पक्का वादा न करे। वह प्रस्ताव रखने, राय जुटाने और उत्तर सार्वजनिक करने का वादा कर सकती है। अपनी शक्ति की सीमा समझना उत्साह कम करना नहीं है। इससे मतदाता यह पहचान पाते हैं कि कौन-सा वादा ईमानदार है और कौन-सा केवल सुनने में शानदार लगता है।

प्रचार के नियम सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। भाषण का बराबर समय, पोस्टर की समान सीमा और साझा प्रश्नोत्तर का अवसर उपयोगी उपाय हैं। यदि एक उम्मीदवार महंगे उपहार बाँट सके और दूसरा केवल अपनी बात कह सके, तो तुलना बिगड़ जाती है। इस अभ्यास में किसी की आर्थिक स्थिति को लोकप्रियता की परीक्षा मत बनने दो। विचारों की प्रतियोगिता को खर्च की प्रतियोगिता से अलग रखना जरूरी है।

मान लो मतदान के बाद दो उम्मीदवारों के वोट बराबर निकलते हैं। उस समय नया नियम बनाना झगड़े को निमंत्रण देना है। बराबरी की स्थिति में दोबारा मतदान होगा या कोई अन्य पूर्वनिर्धारित निष्पक्ष तरीका अपनाया जाएगा, यह पहले लिखा होना चाहिए। यही बात शिकायत, गिनती और परिणाम की घोषणा पर लागू होती है। नियम परिणाम देखने के बाद नहीं, परिणाम से अनजान रहते हुए बनाओ।

वादे को जाँचने की कला

किसी काल्पनिक उम्मीदवार का वादा है, हर सप्ताह पुस्तकालय का एक अतिरिक्त खुला समय माँगना। इसे तीन प्रश्नों से परखो। समस्या क्या है? समाधान के लिए किसकी अनुमति चाहिए? प्रगति कैसे दिखाई जाएगी? यदि उम्मीदवार कहे कि वह पहले उपयोग का छोटा सर्वे करेगी, फिर शिक्षक से समय पर चर्चा करेगी, तो वादा अधिक जाँचने योग्य बनता है। योजना छोटी हो सकती है, फिर भी उसका आधार

मजबूत हो सकता है।

इसके उलट, यदि कोई कहे कि उसे चुनते ही कोई परीक्षा नहीं होगी, तो मुसकराने के बाद गंभीर सवाल पूछो। क्या परिषद के पास ऐसी शक्ति है? यदि नहीं, तो यह कार्ययोजना नहीं है। मतदाता के रूप में तुम्हें हर मजेदार बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं, लेकिन हास्य और वास्तविक प्रतिबद्धता अलग पहचाननी चाहिए। लोकतांत्रिक निर्णय में कल्पना उपयोगी है; अधिकार और संसाधन की जानकारी उसे जमीन देती है।

उम्मीदवारों से एक ही मुख्य प्रश्न पूछना तुलना आसान करता है। सबसे पहले कौन-सी समस्या उठाओगे? अलग राय वालों को कैसे सुनोगे? वादा पूरा न हुआ तो क्या बताओगे? उत्तर दर्ज किए जा सकते हैं, पर किसी बच्चे की निजी परेशानी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। समस्या को पहचानने के लिए व्यक्तिगत शर्मिंदगी पैदा करना लोकतांत्रिक संवेदनशीलता नहीं है। जानकारी जुटाते समय भी गरिमा की रक्षा करनी होती है।

किसी लोकप्रिय मित्र को वोट देना अपने-आप गलत नहीं, पर दोस्ती अकेली कसौटी नहीं होनी चाहिए। तुम सोच सकती हो कि कौन समय देगा, दूसरों को सुनेगा और काम का हिसाब देगा। इसी तरह किसी शांत विद्यार्थी को केवल कम बोलने के कारण अयोग्य मान लेना जल्दीबाजी है। नेतृत्व कई रूपों में दिखता है। अच्छा प्रश्न अक्सर उस क्षमता को सामने ला देता है जिसे चमकदार भाषण छिपा देते हैं।

चुनाव के बाद भी परिषद

मतदान का दिन ऐसा रखा जाना चाहिए कि पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक अवसर मिले। मतपत्र स्पष्ट हों, गुप्त पसंद के लिए जगह हो और सहायता की जरूरत वाले विद्यार्थी के लिए सम्मानजनक व्यवस्था हो। सहायता देने वाला व्यक्ति मतदाता की पसंद न तय करे। बाद में तुम राष्ट्रीय चुनावों में भी यही अंतर देखोगी: किसी का मतदान सुगम बनाना और उसकी ओर से निर्णय करना बिल्कुल अलग कार्य हैं।

गिनती के लिए पहले से तय निष्पक्ष पर्यवेक्षण उपयोगी है। मतपत्र मान्य या अमान्य मानने के नियम सरल हों और सबको मालूम हों। यदि निशान दो खानों में हो, तो क्या किया जाएगा? यदि कागज खाली हो, तो उसे कैसे दर्ज करेंगे? एक छोटे अभ्यास

में भी हर मतपत्र का हिसाब रखना सीखना जरूरी है। भरोसा केवल यह कहने से नहीं बनता कि सब ठीक हुआ; समझने योग्य रिकॉर्ड भी चाहिए।

परिणाम के बाद विजेता को धन्यवाद कहना अच्छा है, लेकिन हारने वाले को अपमानित करना चुनाव की भावना बिगाड़ता है। यदि किसी को नियम टूटने की शिकायत है, तो शिकायत सुनने का रास्ता होना चाहिए। शिकायत करना हार न मानना नहीं होता; निराधार आरोप लगाना भी जवाबदेही नहीं है। प्रमाण, समय-सीमा और निष्पक्ष सुनवाई दोनों पक्षों को बचाते हैं। यही चुनावी परिपक्वता का छोटा अभ्यास है।

इस अध्याय का निष्कर्ष एक काम की कसौटी है: परिषद की गुणवत्ता जीत की घोषणा से नहीं, उसके बाद की सुनवाई से भी मापो। क्या बैठक का संक्षिप्त विवरण मिलता है? क्या अधूरे वादों का कारण बताया जाता है? क्या अगली बार नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा? अब तुम्हारे पास छोटा मॉडल है। अगले अध्याय में देखोगी कि यही जरूरतें भारत जैसे विशाल निर्वाचन में कितनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी बन जाती हैं।

भारत का वशिाल चुनावी काम

करोड़ों नामों की जमि्मेदारी

भारत के चुनाव का आकार समझने के लिए संख्या और उसका अर्थ दोनों देखो। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग नब्बे करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। इसका मतलब यह नहीं कि सभी ने मतदान कयिा। वर्ष 2024 के लिए नरि्वाचन आयोग ने छयिानवे करोड़ से अधकि पंजीकृत मतदाताओं वाला चुनाव घोषति कयिा। संख्या कसि वर्ष की है और वह पंजीकरण बताती है या वास्तवकि मतदान, यह फर्क हर बार साफ रखना चाहए। [4]

इतनी बड़ी संख्या में चुनाव का मतलब केवल बहुत-सी मशीनें नहीं है। मतदाता सूचयिाँ तैयार करनी होती हैं, मतदान केंद्र व्यवस्थति करने होते हैं, कर्मचारयिों को प्रशक्षिण देना होता है और सामग्री सुरक्षति पहुँचानी होती है। अलग जरूरतों वाले लोगों को मतदान का अवसर मलिे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। चुनाव को एक दनि की घटना समझना वैसा ही है जैसे पूरी पुस्तक को केवल उसके अंतमि पृष्ठ से पहचानना। [4][5]

तुम कसिी संख्या को पढ़ते समय तीन खाने मन में बना सकती हो: पात्र जनसंख्या, पंजीकृत मतदाता और मतदान करने वाले लोग। ये संख्या-समूह पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। कोई व्यक्ति आयु के अनुसार पात्र हो सकता है, लेकनि उसका पंजीकरण बाकी हो; कोई पंजीकृत हो सकता है, लेकनि मतदान के दनि न पहुँचे। अच्छी रपिोर्ट इन अंतरों को छपिाती नहीं। लोकतंत्र की चर्चा में सही हर शब्द सही बड़े अंक जतिना महत्वपूर्ण है।

एक काल्पनकि स्कूल में दो सौ नाम सूची में हैं और एक सौ साठ वद्यिार्थयिों ने मत डाला। मतदान प्रतशित अस्सी होगा, सौ नहीं। इसी तरह राष्ट्रीय चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को पड़े मतों की संख्या कह देना गलत है। तुम जब भी बहुत बड़ा आँकड़ा देखो, पहले उसका शीर्षक पढ़ो। संख्या प्रभावति कर सकती है; सही परभिाषा समझ पैदा करती है। आगे गनिती वाले अध्याय में इसी सावधानी का फरि उपयोग होगा।



चुनाव आयोग क्या करता है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। उसका काम चुनाव लड़ना या किसी पार्टी को जिताना नहीं है। उसे चुनावी प्रक्रिया संचालित करनी होती है। आयोग का नाम सुनकर सभी प्रकार के चुनाव उसी के खाते में मत डालो; संविधान अलग संस्थाओं को अलग जिम्मेदारियाँ देता है। [1]

पंचायत और नगरपालिका चुनावों का संवैधानिक प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोगों से जुड़ा है। यह अंतर छोटा नहीं है। यदि तुम्हें किसी चुनाव का नियम जानना हो, तो पहले पहचानो कि कौन-सी संस्था उस चुनाव के लिए जिम्मेदार है। स्कूल परिषद का चुनाव भी अपने-आप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित नहीं होता। समान शब्दों का प्रयोग होने से कानूनी अधिकार समान नहीं बन जाते। संस्थाओं की सही पहचान नागरिक समझ का आधार है। [1]

आयोग और चुनावी अधिकारी अनेक कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर कर्मचारी अपनी पसंद से नियम बना सकता है। प्रशिक्षण, लिखित निर्देश, अभिलेख और निरीक्षण प्रक्रिया को एकरूप रखने में मदद करते हैं। इतने बड़े आयोजन में भरोसा किसी एक व्यक्ति की अच्छाई पर नहीं टिका होना चाहिए; उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें त्रुटि पकड़ने और जिम्मेदारी तय करने के रास्ते हों। [4][5]

स्वतंत्र संस्था होने का अर्थ आलोचना से ऊपर होना भी नहीं है। नागरिक चुनावी प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठा सकते हैं, जानकारी माँग सकते हैं और उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगी प्रश्न स्पष्ट होता है: कौन-सा नियम लागू हुआ, उसका रिकॉर्ड क्या है और शिकायत कहाँ की जा सकती है? केवल प्रशंसा या केवल अविश्वास, दोनों से अधिक मूल्यवान है प्रमाण और प्रक्रिया के आधार पर जाँच करना।

सूची में नाम क्यों जरूरी है

भारत में मतदाता बनने के लिए नागरिकता, आयु, सामान्य निवास और कानून में दी गई अन्य शर्तें देखी जाती हैं। पात्र व्यक्ति को निर्वाचन सूची में पंजीकृत होना पड़ता है। सामान्य निवास का अर्थ केवल संपत्ति का मालिक होना नहीं है। मतदाता पहचान पत्र उपयोगी दस्तावेज है, लेकिन मतदान के लिए सूची में नाम होना केंद्रीय बात है। इसलिए चुनाव से पहले नाम और विवरण जाँचना महत्वपूर्ण नागरिक तैयारी है। [5][12]

आज अठारह वर्ष की आयु की पात्रता जाँचने के लिए वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ हैं: एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर। पंजीकरण तथा संशोधन के निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध हैं। नियम और सेवाएँ समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन करते समय आधिकारिक मार्गदर्शन देखना चाहिए। तुम्हें अभी आवेदन करने की जरूरत नहीं; अभी यह समझना उपयोगी है कि पात्रता और उसका प्रशासन कैसे साथ काम करते हैं। [5][12]

नाम में गलती होना, पता बदलना या सूची में नाम न मिलना अलग समस्याएँ हैं और उनके उपाय भी अलग हो सकते हैं। किसी अनजान संदेश में भेजे लिंक पर निजी जानकारी भरने की जगह अधिकृत सेवा का उपयोग करना समझदारी है। स्कूल के अभ्यास में भी सूची की गलतियाँ मतदान से पहले सुधारना बेहतर है। पात्र व्यक्ति बाहर रह जाए तो समस्या केवल एक नाम की नहीं, उसके अवसर की होती है। [5]

मतदान केंद्र पर पहचान की जाँच और मतदान की गोपनीयता अलग काम हैं। अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सामने आया व्यक्ति पात्र मतदाता है और उसकी बारी सही तरह दर्ज हो। लेकिन इससे उन्हें यह जानने का अधिकार नहीं मिल जाता कि उसने किस उम्मीदवार को चुना। यह संतुलन ध्यान में रखो: चुनाव को व्यक्ति की पात्रता जाननी पड़ती है, उसकी राजनीतिक पसंद सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती। [5][8]

प्रचार का मैदान समतल रखना

उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपनी नीतियाँ बताते हैं, समर्थन माँगते हैं और विरोधियों की आलोचना करते हैं। मतदाता के लिए जानकारी जरूरी है, लेकिन धमकी, रिश्वत या पहचान के आधार पर शत्रुता स्वतंत्र निर्णय को चोट पहुँचा सकती है।

भारत में चुनावी कानून और आदर्श आचार संहिता प्रचार के लिए सीमाएँ तय करते हैं। हर आपत्तिजनक बात का कानूनी दर्जा एक जैसा नहीं होता; विशिष्ट उल्लंघन के लिए विशिष्ट नियम देखना पड़ता है। [6][12]

आदर्श आचार संहिता को सभी चुनावी अपराधों का दूसरा नाम मत समझो। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण का महत्वपूर्ण ढाँचा है, जबकि कई विषयों पर अलग कानून भी लागू होते हैं। सरकारी पद और संसाधनों का अनुचित चुनावी उपयोग निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चुनाव की ईमानदारी केवल मतदान केंद्र के भीतर नहीं, उससे पहले के अभियान में भी परखी जाती है। [6]

तुम किसी प्रचार संदेश को चार प्रश्नों से जाँच सकती हो। दावा किस बारे में है? उसका प्रमाण क्या है? क्या तुलना एक जैसी अवधि और परिभाषा पर आधारित है? संदेश तुम्हें सोचने के लिए कह रहा है या केवल डरने के लिए? ये प्रश्न किसी एक दल के खिलाफ नहीं, सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। निष्पक्षता का मतलब अपनी पसंद छिपाना नहीं; अपनी पसंद के लिए भी समान प्रमाण माँगना है।

अब भारत के चुनाव का बड़ा ढाँचा सामने है: पात्रता, सूची, प्रशासन, प्रचार, मतदान और बाद की गिनती। इनमें से किसी एक हिस्से की उपेक्षा पूरी प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। आगे हम मतदान केंद्र के भीतर जाएँगे, जहाँ एक छोटी-सी आड़ और उँगली पर लगा छोटा-सा निशान अलग-अलग समस्याओं का समाधान करते हैं। दोनों चुनाव को सहारा देते हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा नहीं है।

गुप्त पसंद और दिखाई देती स्याही

अपनी पसंद अपने पास

कल्पना करो कि वोट देने के बाद तुम्हें सबके सामने अपना मतपत्र दिखाना पड़े। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति तुम्हारी पसंद से नाराज हो सकता हो, तो क्या तुम्हारा निर्णय उतना ही स्वतंत्र रहेगा? **गुप्त मतदान** इसी समस्या को संबोधित करता है। मतदाता की पात्रता जाँची जाती है, लेकिन किसे वोट दिया गया, यह सामान्यतः निजी रखा जाता है। गुप्तता डर, दबाव और वोट की खरीद को कठिन बनाने में मदद करती है। [7][8]

गुप्त मतदान का अर्थ यह नहीं कि गिनती भी रहस्यमय हो। दोनों बातें उलटी दिशाओं में काम करती हैं। व्यक्तिगत पसंद निजी रहती है, जबकि प्रक्रिया, नियम और कुल परिणाम सार्वजनिक जाँच के योग्य होने चाहिए। यदि कोई कहे कि चुनाव गुप्त है इसलिए कुछ भी पूछना मना है, तो वह दो अलग विचार मिला रहा है। लोकतांत्रिक लक्ष्य है मतदाता की सुरक्षा और प्रक्रिया की जवाबदेही, न कि जवाबदेही से बचने का पर्दा।

एक स्कूल अभ्यास में इसका सीधा तरीका है कि सभी को समान मतपत्र दिया जाए और पसंद भरने के लिए आड़ मिले। मतपत्र पर नाम लिखवाना जरूरी न हो, क्योंकि उससे चयन पहचान से जुड़ सकता है। लेकिन हर प्रयोग में गुप्तता की गारंटी सोचकर बनानी होगी। यदि किसी एक बच्चे को ही अलग रंग का कागज दिया जाए, तो बिना नाम लिखे भी उसकी पसंद पहचानी जा सकती है। अच्छी मंशा अकेली पर्याप्त नहीं है।

तुम अपनी पसंद पर स्वेच्छा से चर्चा कर सकती हो; इसका अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हें उसे साबित करने के लिए मजबूर कर सकता है। मित्रता की परीक्षा के रूप में वोट का प्रमाण माँगना भी दबाव बन सकता है। इस अंतर को जल्दी समझना उपयोगी है। राजनीति पर खुली बातचीत और मतदान की निजी स्वतंत्रता साथ रह सकती हैं। अपनी राय कहना अधिकार है; हर किसी के सामने अपनी पसंद का सबूत देना उसका आवश्यक हिस्सा नहीं।



ऑस्ट्रेलिया से एक ऐतिहासिक मोड़

वर्ष 1856 में आज के ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में गुप्त मतदान की महत्वपूर्ण शुरुआती व्यवस्थाएँ लागू हुईं। उस समय वे ब्रिटिश उपनिवेश थे, आज का संघीय ऑस्ट्रेलिया अभी बना नहीं था। इन प्रयोगों ने बाद में अन्य स्थानों को प्रभावित किया और सरकारी मतपत्र तथा निजी मतदान की व्यवस्था को अक्सर ऑस्ट्रेलियाई मतपत्र कहा गया। इतिहास का सही संदर्भ तारीख जितना महत्वपूर्ण है। [7]

इसे ऐसे मत समझो कि उससे पहले संसार में किसी ने कभी गोपनीय चुनाव का विचार ही नहीं देखा था। इतिहास में अलग समाजों में अलग रूप मिलते हैं। यहाँ खास महत्व आधुनिक चुनावी व्यवस्था के उस प्रभावशाली विकास का है जिसमें आधिकारिक मतपत्र और सुरक्षित व्यक्तिगत चयन साथ आए। किसी ऐतिहासिक उपलब्धि को सही सम्मान देने का अर्थ उसे बिना सीमा वाली पहली घटना घोषित कर देना नहीं है। [7]

आधिकारिक मतपत्र का एक लाभ यह था कि उम्मीदवार की ओर से बाँटे गए अलग पहचान वाले कागजों पर निर्भरता घटती थी। यदि हर उम्मीदवार का कागज बाहर से पहचान में आए, तो पसंद छिपाना कठिन हो सकता है। एक समान सरकारी मतपत्र और निजी स्थान चयन को देखने वालों से दूर रखते हैं। तुम्हें यहाँ डिजाइन का सबक मिलता है: कभी-कभी स्वतंत्रता की रक्षा लंबा भाषण नहीं, कागज और कमरे की सही व्यवस्था करती है। [7]

फिर भी आड़ लगा देने से हर दबाव समाप्त नहीं होता। परिवार, काम या सामाजिक संबंधों से आने वाला प्रभाव मतदान केंद्र के बाहर मौजूद रह सकता है। गोपनीयता एक मजबूत सुरक्षा है, पूरी सामाजिक बराबरी का जादुई उपाय नहीं। यह बात तकनीक और नियम दोनों पर लागू होती है। लोकतांत्रिक सुधार अक्सर किसी समस्या को घटाते हैं; उनसे सभी समस्याएँ एक साथ मिट जाने की अपेक्षा करना गलत कसौटी होगी।

उँगली पर दिखने वाला निशान

भारत में मतदाता की उँगली पर लगाई जाने वाली **अमिट स्याही** का काम पसंद

बताना नहीं, दोबारा मतदान रोकने की व्यवस्था में सहायता देना है। सामान्य प्रक्रिया में बाएँ हाथ की तर्जनी पर निशान लगाया जाता है; विशेष परिस्थितियों के लिए निर्देश होते हैं। इसमें सिल्वर नाइट्रेट वाला मिश्रण उपयोग किया जाता है, जो टिकाऊ निशान बनाने में मदद करता है। यह साधारण पेन की स्याही जैसा आसानी से मिटने वाला निशान नहीं है। [8]

अमिट शब्द सुनकर यह मत मानो कि निशान जीवन भर रहेगा। वह समय के साथ त्वचा के नवीकरण और नाखून बढ़ने जैसी प्रक्रियाओं के कारण चला जाता है। कितने दिन दिखेगा, इसका एक ही निश्चित उत्तर सबके लिए देना उचित नहीं। स्याही का शैक्षिक महत्व उसकी अस्थायी टिकाऊ पहचान में है। प्रयोगशाला की रासायनिक सामग्री से घर पर ऐसा मिश्रण बनाने का प्रयास मत करना; चुनावी उपयोग नियंत्रित प्रक्रिया का हिस्सा है। [8]

यहाँ एक दिलचस्प संतुलन है। उँगली का निशान मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का दिखाई देने वाला संकेत हो सकता है, लेकिन वह किस उम्मीदवार को चुना गया, यह नहीं बताता। इसलिए स्याही और गुप्त मतदान विरोधी नहीं हैं। एक दोहराव रोकने में मदद करता है, दूसरा पसंद की रक्षा करता है। दोनों को एक समझ लेना वैसा है जैसे पुस्तकालय का प्रवेश रिकॉर्ड देखकर मान लेना कि तुम्हें पढ़ी गई हर पंक्ति भी मालूम है।

स्याही अकेले पूरा चुनाव सुरक्षित नहीं बनाती। नाम की जाँच, पहचान, रजिस्टर, अधिकारी और अन्य प्रक्रियाएँ साथ काम करती हैं। यदि कोई कहे कि एक निशान होने से बाकी सभी सुरक्षा अनावश्यक हैं, तो प्रश्न पूछो। इसी तरह केवल किसी तस्वीर में उँगली का निशान देखकर किसी खास चुनाव में भागीदारी का पूरा कानूनी प्रमाण मान लेना भी जल्दबाजी होगी। संदर्भ और आधिकारिक रिकॉर्ड का अपना महत्व है। [5][8]

गोपनीयता की छोटी परीक्षा

अब एक काल्पनिक चुनाव में गलती खोजो। आयोजक कहते हैं कि मतदान गुप्त है, लेकिन मतपत्र पर विद्यार्थी का क्रमांक लिखते हैं और उसी क्रमांक की सूची सामने रखते हैं। भले अभी कोई पसंद न देख रहा हो, बाद में पहचान जोड़ना संभव हो सकता

है। समस्या केवल पर्दे की कमी नहीं, जानकारी जोड़ने की संभावना है। गोपनीयता के बारे में सोचते समय पूछो कि कौन-सी दो सूचनाएँ मिलकर किसी व्यक्ति को पहचान सकती हैं।

दूसरे उदाहरण में गिनती बंद कमरे में होती है और परिणाम बिना विवरण के बता दिया जाता है। आयोजक इसे गुप्त मतदान कहते हैं। यहाँ भी गड़बड़ी है, क्योंकि गुप्तता मतदाता की पसंद की रक्षा करती है, कुल गिनती पर उचित निगरानी रोकने का कारण नहीं देती। स्कूल का सरल समाधान पूर्वनिर्धारित पर्यवेक्षक और दर्ज कुल हो सकता है। राष्ट्रीय चुनाव में विस्तृत कानूनी प्रक्रियाएँ होती हैं; दोनों को हूबहू समान नहीं मानना चाहिए।

तीसरे उदाहरण में कोई दोस्त कहता है कि वोट देने के बाद पसंद की तस्वीर भेजना विश्वास का प्रमाण है। तुम विनम्रता से इनकार कर सकती हो। लोकतांत्रिक मित्रता का मतलब निर्णय पर चर्चा करना है, निजी चयन की निगरानी करना नहीं। वास्तविक मतदान केंद्र पर फोन और फोटोग्राफी संबंधी आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। नियम की जानकारी अनौपचारिक सोशल मीडिया सलाह से नहीं, जिम्मेदार चुनावी स्रोत से लो। [5][8]

इस अध्याय की गाँठ खोलो: गुप्त मतदान व्यक्ति की पसंद छिपाता है, चुनावी प्रक्रिया का हिसाब नहीं। ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक योगदान आधुनिक गुप्त मतपत्र के विकास में महत्वपूर्ण है। भारत की अमिट स्याही अलग उद्देश्य निभाती है—दोहराव रोकने की प्रणाली में मदद। अब अगला प्रश्न स्वाभाविक है: जब कागज की जगह मशीन का बटन दबता है, तब पसंद कैसे दर्ज होती है और मतदाता क्या देख सकता है?

ईवीएम के बटन के पीछे

तीन हिस्सों को पहचानो

भारत की **ईवीएम**, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, का विचार समझने के लिए उसके काम अलग करो। बैलेट यूनिट पर मतदाता उम्मीदवार के सामने बटन दबाता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास रहती है और मतदान की बारी सक्षम करने तथा दर्ज मतों का हिसाब रखने का काम करती है। वर्तमान लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इनके साथ वीवीपैट भी प्रयुक्त होती है। पूरी व्यवस्था को मोबाइल ऐप समझ लेना गलत होगा। [8]

वीवीपैट मतदाता-सत्यापित कागजी लेखा प्रणाली है। मत देने पर इसकी खिड़की में कुछ समय के लिए पर्ची दिखती है, जिस पर चुने गए उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिह्न होता है। फिर पर्ची मशीन के भीतर बंद संग्रह में गिर जाती है। मतदाता उसे साथ नहीं ले जाता। इस तरह कागजी रिकॉर्ड बनता है, लेकिन ऐसा निजी प्रमाण नहीं मिलता जिसे बाहर किसी को दिखाकर वोट की सौदेबाजी की जाए। [8]

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम इंटरनेट पर ऑनलाइन मतदान करने वाली मशीन नहीं है। आयोग की तकनीकी जानकारी के अनुसार यह स्वतंत्र, नेटवर्क से असंबद्ध व्यवस्था है। इसका अर्थ समझना जरूरी है, लेकिन इससे हर अन्य प्रश्न अपने-आप समाप्त नहीं हो जाता। किसी उपकरण का डिजाइन, उसकी जाँच, उसे कौन सँभालता है और उसके रिकॉर्ड की पुष्टि कैसे होती है—ये अलग सुरक्षा प्रश्न हैं। अच्छी समझ इन्हें एक ही वाक्य में नहीं समेटती। [8]

तुम इसे तीन क्रियाओं से याद रख सकती हो: अनुमति, चयन और पुष्टि का दृश्य। अधिकारी बारी सक्षम करता है, मतदाता चयन करता है और वीवीपैट थोड़े समय के लिए संबंधित पर्ची दिखाती है। यह केवल अवधारणा समझने का तरीका है, वास्तविक मतदान का प्रशिक्षण नहीं। जब कभी तुम पात्र मतदाता बनो, तो उस चुनाव के वर्तमान आधिकारिक निर्देश देखना जरूरी होगा। पुस्तक का स्थायी पाठ प्रक्रिया समझना है, बदल सकने वाली सूचना याद करना नहीं।

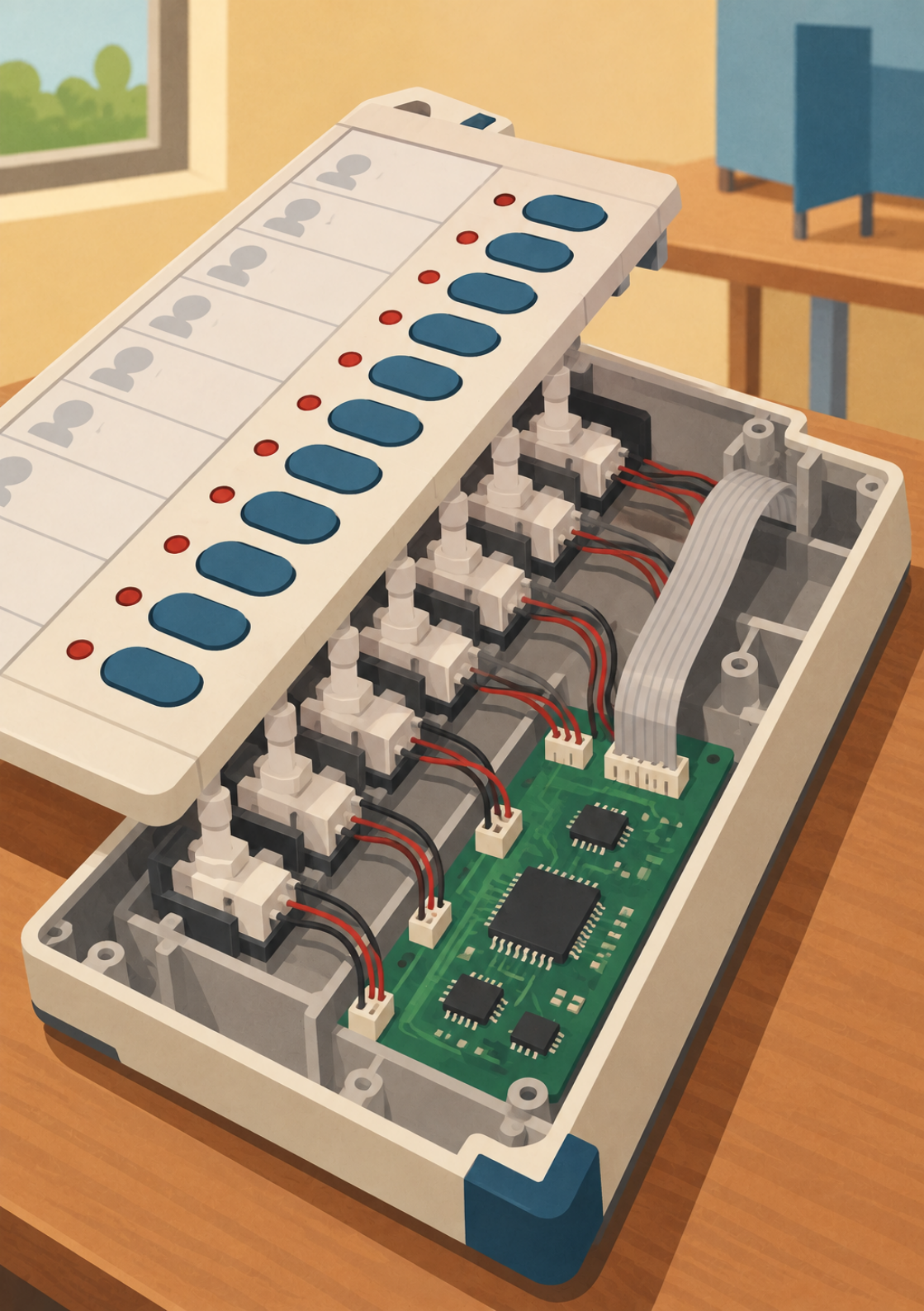

मतदान की एक सामान्य यात्रा

मतदान केंद्र पर सामान्यतः पहले सूची में नाम और पहचान की जाँच होती है। फिर निर्धारित रजिस्टर, स्याही और अन्य औपचारिकताओं के बाद मतदाता मतदान आड़ की ओर जाता है। अधिकारियों की भूमिकाएँ बँटी होती हैं ताकि काम व्यवस्थित चले। इस क्रम का उद्देश्य केवल गति नहीं है। पात्रता, एक व्यक्ति की एक बारी और पसंद की गोपनीयता अलग चरणों में सुरक्षित की जाती हैं। विस्तृत प्रक्रिया आधिकारिक निर्देशों से तय होती है। [5][8]

बटन दबाते समय मतदाता को सही उम्मीदवार की पंक्ति पहचाननी होती है। नाम, क्रमांक और चिह्न अलग पहचान-सहायता देते हैं। वीवीपैट की खिड़की में दिखाई देने वाले विवरण को देखकर मतदाता अपने चयन की पुष्टि कर सकता है। यदि उसे कोई वास्तविक समस्या दिखे, तो चुपचाप बाहर जाकर अफवाह फैलाने के बजाय तत्काल निर्धारित अधिकारी को बताना चाहिए। शिकायत की प्रक्रिया और उसके परिणाम आधिकारिक नियमों से चलते हैं। [8]

यहाँ एक सूक्ष्म फर्क है: मतदाता को पर्ची दिखना और हर पर्ची का परिणाम के समय गिना जाना एक बात नहीं हैं। वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन की निर्धारित व्यवस्था होती है। उसके विस्तार और लागू निर्देशों की जानकारी वर्तमान आधिकारिक स्रोत से लेनी चाहिए। किसी पुराने लेख में पढ़ा नियम हमेशा के लिए स्थिर मान लेना उचित नहीं। तकनीकी नागरिक साक्षरता में यह पहचानना भी शामिल है कि कौन-सी जानकारी समय के साथ बदल सकती है। [8]

स्कूल में मशीन का मॉडल बनाकर सीखना हो तो असली ईवीएम जैसा दिखना आवश्यक नहीं। कागज पर तीन भूमिकाएँ बनाओ और देखो कि अनुमति देने वाला व्यक्ति चयन नहीं करता। फिर जाँचो कि कुल गिनती कैसे बनेगी और निजी पसंद कैसे छिपेगी। ऐसा अभ्यास मशीन की नकल नहीं, प्रक्रिया का मानचित्र है। स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यह शैक्षिक मॉडल है, भारत की वास्तविक चुनावी तकनीक का परीक्षण नहीं।

भरोसा जाँच से बनता है

चुनावी उपकरणों की तैयारी में तकनीकी जाँच, मॉक पोल, सीलगि, सुरक्षति रख-रखाव और उम्मीदवारों या उनके प्रतनिधियिों की उपस्थतिि वाले नरि्धारति अवसर शामलि होते हैं। **मॉक पोल** वास्तवकि मतदान से पहले कयिा जाने वाला परीक्षण मतदान है। इसका उद्देश्य व्यवस्था की जाँच है; परीक्षण के मतों को वास्तवकि मतों के साथ नहीं मलिना चाहए। हर चरण का रकिॉर्ड और जमि्मेदारी प्रक्रयिा को समझने योग्य बनाने में मदद करते हैं। [8]

कसिी मशीन के बारे में दो अतयिों से बचो। पहली है कि मशीन है, इसलए कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। दूसरी है कि मशीन है, इसलए हर परणिाम अवश्य गलत होगा। दोनों दावे प्रमाण से पहले नषि्कर्ष देते हैं। उपयोगी प्रश्न अधकि वशिषि्ट होते हैं: समस्या कसि इकाई में थी, कब दखिी, रकिॉर्ड क्या कहता है और उस स्थतिि के लए कौन-सी प्रक्रयिा लागू है? वशिषि्टता जाँच का रास्ता खोलती है।

खराबी, संचालन की भूल और जानबूझकर छेड़छाड़ अलग दावे हैं। कसिी उपकरण का काम न करना अपने-आप यह सद्धि नहीं करता कि मत बदले गए। इसी तरह खराबी को हल्का कहकर हर चति खारजि करना भी ठीक नहीं। नषि्पक्ष जाँच में घटना की प्रकृतिि, प्रभाव और सुधार देखा जाता है। तुम यही आदत अन्य तकनीकों पर भी लागू कर सकती हो: समस्या को सही नाम दो, फरि उसके अनुरूप प्रमाण खोजो।

तकनीकी बहस में वशिेषज्ञों की भूमकिा महत्वपूर्ण है, पर सामान्य नागरकि का प्रश्न पूछना भी उचति है। स्पष्ट भाषा में उत्तर माँगना अज्ञान का संकेत नहीं। यदि कोई सुरक्षा व्यवस्था बताई जाए, तो पूछो कि वह कसि जोखमि को कम करती है और उसकी सीमा क्या है। चुनावी भरोसा सबसे मजबूत तब होता है जब संस्थाएँ केवल वशि्वास माँगती नहीं, जाँचने योग्य जानकारी और लागू प्रक्रयिाएँ भी प्रस्तुत करती हैं।

पहुँच भी चुनावी तकनीक है

मतदान का उपकरण सही काम करे, लेकनि मतदाता वहाँ पहुँच ही न सके, तो अवसर अधूरा रह जाता है। दव्यिांग मतदाताओं और अन्य जरूरतों के लए सुगम व्यवस्थाएँ नरि्वाचन की महत्वपूर्ण जमि्मेदारी हैं। इसमें भौतकि पहुँच, जानकारी और अनुमत सहायता जैसे पहलू आते हैं। सभी के लए एक ही सीढ़ी बना देना समानता नहीं है, यदि

कुछ लोग सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते। समान अवसर कभी-कभी अलग सहायता माँगता है। [5]

सहायता का लक्ष्य मतदाता की अपनी पसंद लागू करना है। किसी व्यक्ति को पढ़ने या उपकरण उपयोग करने में मदद की जरूरत होने से उसकी राजनीतिक समझ समाप्त नहीं हो जाती। सम्मानजनक सहायता में अनावश्यक दर्शक, ऊँची आवाज में निजी चयन बताना या सहायता देने वाले का निर्णय थोपना शामिल नहीं होना चाहिए। स्कूल चुनाव में भी यही सिद्धांत अपनाया जा सकता है, भले वहाँ व्यवस्था कहीं अधिक सरल क्यों न हो।

एक और गलती पहचानो: कोई कहता है कि ईवीएम पर बटन दबाने से देश की सरकार सीधे उसी क्षण चुन ली जाती है। वास्तव में मत किसी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के खाते में दर्ज होता है। फिर गिनती से सीट का परिणाम निकलता है, और संसदीय व्यवस्था में सरकार गठन का अगला संवैधानिक चरण आता है। उपकरण मत दर्ज करता है; शासन बनने का पूरा नियम उपकरण के भीतर नहीं, राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में है। [1][8]

अब तुम मशीन को जादुई डिब्बे की तरह नहीं देखतीं। उसके हिस्से हैं, सीमाएँ हैं, जाँच के तरीके हैं और नागरिक प्रश्न हैं। गोपनीयता, सत्यापन और सुगमता तीन अलग कसौटियाँ हैं जिन्हें साथ देखना चाहिए। आगे सबसे रोचक मोड़ है: मत पूरी तरह सही गिने जाएँ, फिर भी अलग चुनावी नियम अलग प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। इसलिए सही गिनती के बाद भी कहानी पूरी नहीं होती; सीट बाँटने का नियम पढ़ना पड़ता है।

हर मत गिना, फिर सीट किसकी?

वोट से सीट तक

मत दर्ज होने के बाद अगला प्रश्न है कि विजेता किस नियम से चुना जाएगा। भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सामान्यतः प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है और सबसे अधिक वैध उम्मीदवार-मत पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। इसे अक्सर **फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट** कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक का अर्थ जरूरी नहीं कि आधे से अधिक हो। यह अंतर चुनावी समाचार समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। [4][12]

एक काल्पनिक स्कूल पद के लिए सौ वैध मत पड़े। पहले उम्मीदवार को चालीस, दूसरे को पैंतीस और तीसरे को पच्चीस मिले। सबसे अधिक मत वाला पहला उम्मीदवार जीतेगा, हालांकि साठ मत दूसरे उम्मीदवारों को मिले हैं। इससे गिनती गलत नहीं हो जाती; यह चुने गए नियम का परिणाम है। यदि नियम पहले से स्पष्ट हो, तो तुम परिणाम और नियम की आलोचना को अलग रख सकती हो। दोनों अलग प्रकार के प्रश्न हैं।

यहाँ **बहुलता** और **पूर्ण बहुमत** का फर्क समझो। बहुलता का मतलब दूसरों से अधिक मत है। पूर्ण बहुमत सामान्यतः संबंधित कुल के आधे से अधिक को कहता है। चालीस प्रतिशत बहुलता हो सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं। किसी समाचार में बहुमत शब्द सुनो, तो पूछो कि वह किसका है—मतों का, सीटों का या सदन में किसी विशेष निर्णय के लिए गिने गए सदस्यों का? संदर्भ अर्थ बदल देता है।

यह शब्द-भेद केवल परीक्षा के लिए नहीं है। यदि कोई कहे कि निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों ने विजेता को चुना, तो यह गलत सामान्यीकरण हो सकता है। कुछ ने दूसरों को वोट दिया होगा, कुछ ने मतदान नहीं किया होगा और कुछ मतदान की आयु से छोटे होंगे। विजेता को वैध प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन पूरे समाज की हर राय एक जैसी नहीं हो जाती। लोकतंत्र में परिणाम स्वीकारना और मतभेद पहचानना साथ संभव है।

प्रतिशत का सही हर



फरि वही काल्पनकि स्कूल लो। सूची में एक सौ पच्चीस नाम हैं, लेकनि सौ वद्यिार्थयिों ने मत दयिा। मतदान प्रतशित अस्सी है। यदि विजेता को चालीस मत मलि, तो वह पड़े सौ मतों का चालीस प्रतशित है, सूची के एक सौ पच्चीस नामों का बत्तीस प्रतशित। दोनों गणनाएँ सही हो सकती हैं, लेकनि वे अलग प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रतशित के नीचे छपिा कुल, जसिे हर कहते हैं, समझे बनिा तुलना मत करो।

अब मान लो सौ मतपत्रों में चार अमान्य पाए गए और उम्मीदवारों को कुल छयिानवे वैध मत मलि। कसिी उम्मीदवार का मत-प्रतशित वैध उम्मीदवार-मतों के आधार पर नकिाला जाए तो हर छयिानवे होगा, कुल मतपत्र सौ नहीं। वास्तवकि आँकड़ों में परभिाषा पढ़ना इसलएि जरूरी है। इस पुस्तक के छोटे उदाहरण गणति साफ करने के लएि हैं; उन्हें कसिी असली चुनाव के परणिाम या कसिी देश की आधकिारकि तालकिा मत समझना।

भारत में ईवीएम पर **नोटा**, अर्थात इनमें से कोई नहीं, का वकिल्प भी होता है। यह सभी सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की पसंद दर्ज करता है। लोकसभा और वधिानसभा चुनावों में नोटा को सबसे अधकि मत मलि जाने से अपने-आप दोबारा चुनाव नहीं होता; उम्मीदवारों में सर्वाधकि मत पाने वाला नर्विाचति होता है। दूसरे प्रकार के चुनावों के नयिम अलग हो सकते हैं, इसलएि यह कथन अपने संदर्भ तक सीमति रखो। [8]

कसिी चार्ट में प्रतशित का कुल सौ से थोड़ा अलग दखि, तो पहले दशमलव को गोल करने का प्रभाव देखो। लेकनि हर अंतर गोलाई से नहीं समझाया जा सकता। मूल संख्या, श्रेणयिाँ और अवधभिी जाँचो। चुनावी आँकड़े पढ़ना संदेह फैलाने की कला नहीं, सही सवाल की कला है। छोटी गणतिीय सावधानी बड़े राजनीतकि दावे को अधकि साफ कर सकती है और अनावश्यक ववािद से भी बचा सकती है।

सीटों का नक्शा बदलता है

एक दूसरा काल्पनकि प्रयोग तीन नर्विाचन क्षेत्रों का है। हर क्षेत्र में सौ मत पड़ते हैं। दल क को हर जगह इक्यावन और दल ख को उनचास मत मलिते हैं। दल क कुल एक सौ तरिपन मतों से तीनों सीटें जीत लेता है, जबकदि ल ख के एक सौ सैंतालीस मतों से कोई सीट नहीं बनती। यह सरल उदाहरण दखिाता है कि कुल मतों का अनुपात और

सीटों का अनुपात एक जैसा होना जरूरी नहीं।

इस उदाहरण से यह निष्कर्ष मत निकालो कि किसी मतदाता का मत गिना ही नहीं गया। उसके मत की गिनती हुई, लेकिन एक-सीट वाले नियम में उसका उम्मीदवार नहीं जीता। **गिनती में शामिल होना** और **चुना हुआ प्रतिनिधि मिलना** अलग अर्थ हैं। चुनावी प्रणालियों की बहस में यह भाषा सावधानी बहुत काम आती है। अन्यथा लोग एक वास्तविक चिंता को गलत शब्द देकर समझने की जगह और उलझा देते हैं।

किसी दल के वोट देश भर में समान रूप से फैले हों या कुछ क्षेत्रों में केंद्रित हों, इससे सीटों पर अलग असर पड़ सकता है। यह नियम की बनावट से जुड़ा प्रश्न है, अपने-आप धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं। फिर भी मत-सीट संबंध की आलोचना वैध लोकतांत्रिक चर्चा है। तुम पूछ सकती हो कि प्रणाली स्थानीय प्रतिनिधि को प्राथमिकता देती है, अनुपातिकता को या दोनों के किसी मिश्रण को। हर लक्ष्य के साथ अलग कठिनाइयाँ आती हैं।

भारत के सभी चुनाव एक ही पद्धति से नहीं होते। राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के चुनावों में संविधान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रावधान करता है; मतदाता निकाय और अन्य विवरण अलग हैं। इसलिए यह कहना कि भारत केवल एक प्रकार की चुनावी प्रणाली जानता है, गलत होगा। इस पुस्तक में लोकसभा की चर्चा का नियम दूसरे पद पर अपने-आप लागू मत कर देना। [1]

जीत के बाद सरकार

लोकसभा चुनाव में मतदाता सांसद चुनते हैं; वे सामान्य मतपत्र पर सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सरकार को सदन का विश्वास बनाए रखना पड़ता है। इसलिए चुनावी अभियान में किसी नेता का चेहरा बहुत प्रमुख होने पर भी कानूनी प्रक्रिया को उसी चेहरे की सीधी राष्ट्रव्यापी मतदान प्रतियोगिता समझना ठीक नहीं होगा। [1]

यदि किसी दल को अकेले पर्याप्त समर्थन न मिले, तो दल साथ आकर गठबंधन बना

सकते हैं। गठबंधन का अर्थ अपने-आप जनमत का अपमान या अपने-आप बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके समझौते, सार्वजनिक कार्यक्रम और सदन में समर्थन देखना चाहिए। राजनीति में सहयोग भी जवाबदेही माँगता है। मतदाता यह पूछ सकते हैं कि चुनाव से पहले कहे गए विचारों और बाद के समझौते में क्या संबंध है और बदलाव के कारण क्या बताए गए हैं।

स्कूल के अभ्यास में भी यही प्रश्न उठ सकता है। यदि अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्य अलग समूहों से आएँ, तो क्या वे काम कर पाएँगे? उत्तर नियम और व्यवहार पर निर्भर करेगा। काम का स्पष्ट बँटवारा, बैठक का रिकॉर्ड और साझा प्राथमिकताएँ मदद कर सकती हैं। सबकी राय एक जैसी होना जरूरी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से बचने के लिए हर बार दूसरे समूह को दोष देना लोकतांत्रिक काम का विकल्प नहीं है।

अब तुम्हारे पास परिणाम पढ़ने की चार चाबियाँ हैं: किसका चुनाव है, जीतने का नियम क्या है, प्रतिशत का आधार कौन-सा कुल है और सीटें बनने के बाद सरकार कैसे बनती है। लेकिन इससे पहले कि अलग प्रणाली देखें, एक और गहरी बात बाकी है। इतिहास में हर वयस्क को मत देने का अधिकार मिला ही नहीं था। सही नियम की चर्चा तब अधूरी है जब हम यह भूल जाएँ कि दरवाजे के बाहर किसे रखा गया था।

जब महिलाओं ने मत का दरवाजा खोला

बराबरी अपने-आप नहीं आई

आज तुम्हें यह अजीब लग सकता है कि किसी व्यक्ति को केवल महिला होने के कारण मतदान से बाहर रखा जाए। इतिहास में ऐसी रोक अनेक समाजों में वास्तविक थी। संपत्ति, नस्ल, शिक्षा और अन्य शर्तों ने भी लोगों को बाहर रखा। इसलिए **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** की कहानी केवल मतपत्र बनाने की कहानी नहीं, यह तय करने की कहानी है कि राजनीतिक समुदाय में बराबर सदस्य किसे माना जाएगा। [1][9]

महिला मताधिकार की माँग इस विचार पर टिकी थी कि जिन कानूनों और सार्वजनिक निर्णयों का असर महिलाओं पर पड़ता है, उनके निर्माण में उनकी राजनीतिक आवाज भी होनी चाहिए। विरोधी अक्सर परंपरा या कथित क्षमता का तर्क देते थे। ऐसे तर्कों को केवल पुराने जमाने का मजाक समझकर छोड़ना आसान है। अधिक उपयोगी सवाल है कि हम आज किन लोगों की क्षमता के बारे में बिना प्रमाण अनुमान लगा लेते हैं। [9]

यहाँ मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार अलग रखो। किसी देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति एक वर्ष में दी हो और संसद का उम्मीदवार बनने की अनुमति बाद में दी हो सकती है। किसी एक तारीख से पूरी बराबरी सिद्ध नहीं होती। इसी तरह कानून में अधिकार मिलना और व्यवहार में सबके लिए उसका उपयोग आसान हो जाना अलग चरण हैं। इतिहास पढ़ते समय उपलब्धि का सम्मान और उसकी सीमा की पहचान साथ करनी चाहिए। [9]

स्कूल की भाषा में सोचो: यदि किसी समूह को परिषद चुनने दिया जाए, लेकिन उसी समूह के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनने से रोका जाए, तो भागीदारी अधूरी होगी। यह केवल तुलना है, ऐतिहासिक परिस्थितियों का पूरा विकल्प नहीं। फिर भी इससे अधिकार की परतें साफ होती हैं। लोकतंत्र में दरवाजा खुलना महत्वपूर्ण है; भीतर किस भूमिका तक पहुँच है, यह भी पूछना पड़ता है।



न्यूज़ीलैंड का वर्ष 1893

वर्ष 1893 में न्यूज़ीलैंड महिलाओं को संसदीय चुनाव में मतदान का अधिकार देने वाला पहला स्वशासित देश बना। उस समय वह आज जैसा पूर्ण स्वतंत्र देश नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासित उपनिवेश था। वयस्क महिलाओं के मताधिकार में माओरी महिलाएँ भी शामिल थीं। उपलब्धि का सटीक वर्णन उसे कमजोर नहीं करता; उलटे, वह इतिहास को नारे की जगह समझने योग्य घटना बनाता है। [9]

इस बदलाव के पीछे लंबा अभियान था। याचिकाएँ, सार्वजनिक चर्चा, संगठन और राजनीतिक दबाव महत्वपूर्ण रहे। मताधिकार किसी सुबह बिना बहस के उपहार की तरह नहीं आ गया। कई लोगों ने अपने समय में जिसे असंभव या अनुचित कहा, उसे नागरिक अभियान ने सार्वजनिक प्रश्न बनाया। तुम्हारे लिए सीख यह नहीं कि हर अभियान अवश्य जीतेगा, बल्कि यह कि अधिकारों का विस्तार अक्सर संगठित और धैर्यपूर्ण प्रयास से जुड़ा होता है। [9]

न्यूज़ीलैंड में महिलाओं को संसद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार 1919 में मिला। इस तरह 1893 की उपलब्धि और उम्मीदवार बनने की पात्रता के बीच अंतर था। दोनों तारीखें साथ रखने से एक आम गलती बचती है: मतदान अधिकार मिलते ही हर राजनीतिक पद का रास्ता एक ही क्षण खुल गया, ऐसा मान लेना। इतिहास में प्रगति अक्सर चरणों में होती है और एक सफलता अगली माँग को और स्पष्ट करती है। [9]

जब तुम किसी ऐतिहासिक चित्र या लेख में पहली महिला मतदाता जैसी पंक्ति देखो, तो पूछो कि लेखक किस स्तर की बात कर रहा है। किसी क्षेत्र का चुनाव, राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और किसी सीमित मतदाता समूह का चुनाव अलग हो सकते हैं। पहले शब्द का उपयोग जितना बड़ा होता है, उसकी परिभाषा उतनी जरूरी हो जाती है। सावधानी रोमांच घटाती नहीं; वह तुम्हें इतिहास की वास्तविक जटिलता का आनंद लेने देती है।

भारत का संवैधानिक चुनाव

भारत के संविधान ने वयस्क मताधिकार को चुनावी व्यवस्था का आधार बनाया। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन सूची में अपात्रता

और वशिेष सूची की माँग के वरिुद्ध प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और वधिानसभाओं के चुनाव के लिए वयस्क मताधकिार का आधार देता है, कानून में अनुमत सीमाओं के अधीन। महलिाओं को पुरुषों के बाद कसिी अलग राष्ट्रीय चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। [1]

भारत के पहले आम चुनाव 1951–52 में हुए। उस समय सामान्य मतदान आयु इक्कीस वर्ष थी। बाद में इकसठवें संवधिान संशोधन से इसे अठारह वर्ष कयिा गया। इसलिए आज का नयिम अतीत पर मत लगा देना। यदि कोई पुरानी मतदाता सूची या चुनावी अनुभव पढ़ो, तो उस समय की आयु और पात्रता याद रखो। लोकतंत्र की संस्थाएँ स्थरि मूल्यों के साथ बदलते नयिमों का इतहिास भी रखती हैं। [1][4]

समान कानूनी मत का अर्थ यह नहीं कि सभी सामाजकि बाधाएँ तुरंत समाप्त हो गईं। जानकारी, सुरक्षा, घरेलू जम्मिेदारयिाँ, सार्वजनकि जीवन में प्रोत्साहन और संसाधन भागीदारी को प्रभावति कर सकते हैं। कसिी समूह की कम उपस्थतिि देखकर सीधे यह कहना कि उसे रुचि ही नहीं, आसान लेकनि कमजोर नष्किर्ष है। पहले अवसर और बाधाएँ देखो। अधकिार का वास्तवकि उपयोग समझने के लिए कागज और जीवन की परस्थितियिों दोनों पर ध्यान चाहए।

तुम स्कूल में भी यह जाँच सकती हो कि उम्मीदवार बनने का अवसर वास्तव में समान है या नहीं। क्या भाषण का समय ऐसा है कि सभी तैयारी कर सकें? क्या कुछ बच्चों को मजाक या अपमान का अधकि डर है? क्या जम्मिेदारी नभिाने के लिए सहयोग उपलब्ध है? केवल यह घोषणा कि कोई रोक नहीं है, हमेशा पर्याप्त नहीं होती। नष्पिक्षता में खुले दरवाजे के साथ भीतर तक पहुँचने का रास्ता भी शामलि है।

अधकिार की रक्षा कैसे सोचें

एक काल्पनकि परषिद चुनाव में लड़कयिों को वोट देने दयिा जाता है, लेकनि कहा जाता है कि अध्यक्ष का काम उनके लिए नहीं है। इस नयिम का औचत्यि क्या है? यदि उत्तर केवल पुरानी आदत है, तो वह क्षमता का प्रमाण नहीं। नयिम की जाँच व्यक्ति की वास्तवकि जम्मिेदारयिों और सभी पर समान कसौटी से होनी चाहए। कसिी पूरे समूह को अनुमान के आधार पर बाहर करना बराबरी के वचिार से टकराता है।

दूसरी ओर, किसी एक लड़की की जीत से यह घोषित करना भी जल्दबाजी होगी कि अब सभी बाधाएँ खत्म हैं। उपलब्धि वास्तविक हो सकती है और सुधार की जरूरत भी बनी रह सकती है। तुम सफलता का उत्सव मनाते हुए नए प्रश्न पूछ सकती हो: क्या अधिक लोग उम्मीदवार बन रहे हैं, क्या जिम्मेदारियाँ समान रूप से बाँटी जा रही हैं और क्या असहमति के समय सबको बराबर सम्मान मिलता है? लोकतंत्र में खुशी और जाँच साथ चल सकते हैं।

इस इतिहास से भावनात्मक सबक भी मिलता है। जिन अधिकारों को तुम सामान्य मानती हो, उनके लिए पहले लोगों ने उपहास, असफलता और थकान सहन की होगी। इससे अपराधबोध लेने की जरूरत नहीं; जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा मिल सकती है। अपना मत स्वतंत्र रखना, दूसरों का अधिकार स्वीकारना और बिना जाँचे भेदभावपूर्ण तर्क न दोहराना उस इतिहास का व्यावहारिक सम्मान है। बड़ी उपलब्धियों की रक्षा छोटे व्यवहारों से भी होती है।

अब मुख्य बात जोड़ो: सही गिनती से पहले समान प्रवेश चाहिए। न्यूज़ीलैंड ने महिला संसदीय मताधिकार के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ दिया; भारत ने अपने संवैधानिक लोकतंत्र में स्त्री और पुरुष नागरिकों के वयस्क मताधिकार को साझा आधार बनाया। लेकिन मतदान अधिकार मिलने के बाद अगला प्रश्न फिर लौटता है—विविधि पसंदों को सदन में जगह कैसे मिले? इस सवाल के लिए अब नॉर्वे की ओर देखेंगे।

नॉर्वे और हसि्से के अनुसार सीटें

अनेक सीटों में अनेक आवाजें

एक सीट के चुनाव में अंततः एक उम्मीदवार जीतता है। लेकनि यदि परषिद में दस सीटें हों, तो क्या सभी सीटें उसी समूह को मलिनी चाहएि जसिे सबसे अधकि मत मलि? जरूरी नहीं। **आनुपातकि प्रतनिधित्वि** का व्यापक वचिार यह है कि दलों या समूहों को मलिने वाली सीटें उनके समर्थन के अनुपात के करीब हों। इसके कई रूप हैं। यह एक अकेली मशीन, एक अकेला मतपत्र या संसार भर में समान नयिम का नाम नहीं है। [10]

एक सरल काल्पनकि उदाहरण में सौ मतदाता और दस परषिद सीटें हैं। समूह क को पचास, समूह ख को तीस और समूह ग को बीस मत मलिते हैं। यदि पूरी व्यवस्था बलि्कुल सीधा अनुपात दे, तो सीटें पाँच, तीन और दो होंगी। यह गणना अवधारणा समझाने के लएि है। वास्तवकि चुनाव में कुल सीटें, नरि्वाचन क्षेत्र, पात्रता की सीमा और बाँटने की पद्धति परणिाम को अधकि जटलि बना सकते हैं। [10]

इस उदाहरण की खास बात यह है कि सबसे बड़े समूह को नेतृत्व में अधकि जगह मलिती है, लेकनि बाकी समूह पूरी तरह गायब नहीं होते। फरि भी आनुपातकिता का अर्थ हर व्यक्ति की हर राय का अलग प्रतनिधि होना नहीं है। लोग कई मुद्दों पर अलग पसंद रखते हैं और एक दल का समर्थन उन सभी पर एक जैसा मत नहीं बताता। प्रतनिधित्वि हमेशा वास्तवकि जीवन की ववििधता को कसिी संस्थागत रूप में व्यवस्थति करता है।

तुम पूछ सकती हो कि फरि हर जगह यही क्यों नहीं होता। क्योंकि चुनावी डजिाइन कई लक्ष्य साधता है। कुछ लोग एक क्षेत्र का स्पष्ट प्रतनिधि चाहते हैं, कुछ मत-सीट अनुपात को अधकि महत्व देते हैं और कुछ स्थरि बहुमत बनने की सुवधिा को। अच्छे वशि्लेषण में अपनी प्राथमकिता साफ करना पड़ता है। कसिी प्रणाली को केवल अपने पसंदीदा दल के लाभ से अच्छा या बुरा कहना सद्धिांत की जगह सुवधिा चुनना होगा।

नॉर्वे की संसद का तरीका

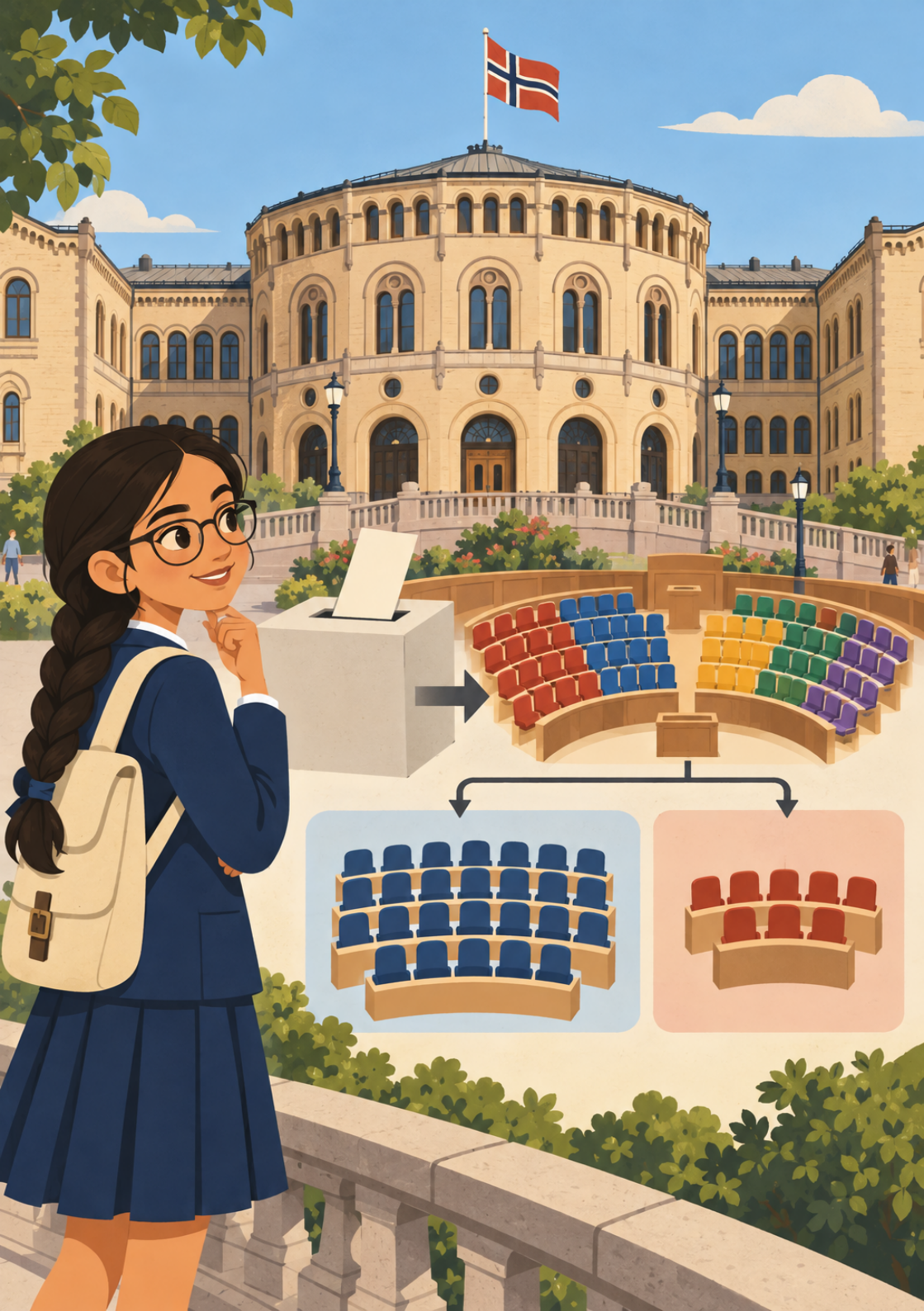

नॉर्वे की संसद, स्टोर्टगि, के चुनाव में सूची-आधारति आनुपातकि प्रतनिधित्वि प्रयुक्त होता है। कुल 169 सीटों में नर्विाचन क्षेत्रों की सीटें और समायोजन सीटें शामलि होती हैं। समायोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मतों और सीटों के बीच अनुपात को बेहतर बनाना है। यह न समझो कि पूरे देश के मत एक साधारण कटोरे में डालकर बनिा क्षेत्रीय नयिमों के सीटें बाँट दी जाती हैं। वास्तवकि व्यवस्था में कई जुड़े चरण हैं। [10]

नॉर्वे में 150 नर्विाचन-क्षेत्र सीटें और 19 समायोजन सीटें हैं। समायोजन सीटों के लएि दल को सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम चार प्रतशित मत की सीमा पार करनी होती है। यह सीमा सभी प्रकार की सीट जीतने पर पूर्ण रोक नहीं है; इससे नीचे रहने वाला दल भी नर्विाचन-क्षेत्र सीट जीत सकता है। प्रतशित की कसिी सीमा को पढ़ते समय यह देखना जरूरी है कि वह कसि अवसर पर लागू होती है। [10]

नॉर्वे में सीट बाँटने के लएि संशोधति सैंट-लाग्यू जैसी गणतिीय पद्धति उपयोग होती है। तेरह वर्ष की उम्र में उसका हर चरण याद करना जरूरी नहीं, पर उसका उद्देश्य समझना उपयोगी है: मतों को ऐसी प्रक्रयिा से सीटों में बदलना जसिे पहले से तय नयिम से दोहराया जा सके। अंतमि कुछ सीटों का नर्णिय छोटे अंतर से हो सकता है, इसलएि आधकिारकि गणना का नयिम सामान्य अनुपात वाले उदाहरण से अधकि सटीक होता है। [10]

यहाँ सावधानी की एक और परत है। संसद की कुल सीटों का अच्छा अनुपात अपने-आप यह सुनश्चिति नहीं करता कि हर सामाजकि समूह का समान प्रतनिधित्वि होगा। उम्मीदवारों का चयन, सूची में स्थान, दलों की आंतरकि प्रक्रयिा और सामाजकि अवसर भी महत्वपूर्ण हैं। चुनावी सूत्र एक वास्तवकि समस्या पर काम करता है, सभी प्रकार की असमानता पर नहीं। प्रणाली की उपलब्धि पहचानो, पर उससे हर प्रश्न का उत्तर मलिने की अपेक्षा मत रखो।

अधूरी सीट का पूरा हसिाब

अब काल्पनकि दस-सीट परषिद में मत पैंतालीस, पैंतीस और बीस कर दो। सीधा अनुपात साढ़े चार, साढ़े तीन और दो सीटें बताता है। लेकनि आधा प्रतनिधि कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। यहीं कसिी नर्धिारति आवंटन पद्धति की जरूरत पड़ती है। कसि समूह

को अंतमि पूरी सीट मलिेगी, यह नयिम तय करेगा। इसलिए आनुपातकि का अर्थ हर स्थतिमिें गणतिीय रूप से बलि्कुल पूर्ण समानता नहीं है।

इस कठनिाई को चॉकलेट बाँटने जैसा पूरी तरह मत समझो। चॉकलेट काटी जा सकती है, प्रतनिधिकिी सीट सामान्यतः नहीं। चुनावी व्यवस्था को पूर्णांक सीटों के साथ काम करना पड़ता है। जतिनी कम सीटें हों, छोटे प्रतशितों को ठीक-ठीक दर्शाना उतना कठनि हो सकता है। यह सामान्य गणतिीय बात है। कसिी वास्तवकि देश का परणिाम समझने के लिए फरि उसके क्षेत्र, सीमा और आधकिारकि आवंटन पद्धतपिढ़नी होगी।

तुम स्कूल में दो अलग चुनावी प्रयोग कर सकती हो, लेकनि परणिाम देखने से पहले नयिम लखिना जरूरी है। पहले प्रयोग में हर कक्षा का अलग प्रतनिधिहो। दूसरे में सभी मतों से पूरी परषिद की सीटें बाँटी जाएँ। दोनों में कुछ आवाजें अलग तरीके से उभरेंगी। यह गतविधिकिसिी एक व्यवस्था को वजिेता घोषति करने के लिए नहीं, यह समझने के लिए है कनियिम कसि तरह की प्रतनिधित्वि समस्या को प्राथमकिता देते हैं।

यदविद्यार्थी समूह बनाएँ, तो व्यक्तयिों को जाति, धर्म या नजिी पहचान के आधार पर बाँटना आवश्यक नहीं। शैक्षकि प्रयोग में पुस्तकालय, खेल और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काल्पनकि कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। फरि भी कसिी एक वषिय को चुनना उस समूह के सभी सदस्यों की पूरी पहचान नहीं बनाता। लोकतंत्र में लोग बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं और सहयोग नए रूप ले सकता है। सरल मॉडल को वास्तवकि समाज का पूरा चत्रि मत मानो।

समझौता भी सार्वजनकि काम है

आनुपातकि व्यवस्था में कई दल सदन में पहुँच सकते हैं और सरकार बनाने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। इसका लाभ ववििधि आवाजें होना हो सकता है; कठनिाई साझा कार्यक्रम तय करना हो सकती है। समझौता हमेशा कमजोर सद्धिांत नहीं होता, लेकनि हर समझौता अच्छा भी नहीं होता। उसकी गुणवत्ता इस बात से परखो कि कारण बताए गए हैं या नहीं, अधकिार सुरक्षति हैं या नहीं और जम्मिेदारी स्पष्ट है या नहीं।

मान लो काल्पनिक परिषद में पुस्तकालय समूह और खेल समूह मिलकर प्रस्ताव बनाते हैं कि उपलब्ध संसाधन का कुछ हिस्सा पढ़ने और कुछ हिस्सा खेल के लिए रखा जाए। किसी को पूरा नहीं मिला, लेकिन दोनों जरूरतें मानी गईं। अब यदि वे समझौते को गुप्त रखें और बाद में एक-दूसरे को दोष दें, तो समस्या सहयोग की नहीं, जवाबदेही की है। सार्वजनिक कारण और स्पष्ट रिकॉर्ड समझौते को नागरिक जाँच के योग्य बनाते हैं।

भारत और नॉर्वे की तुलना करते समय देशों को अच्छे और बुरे की सरल सूची में मत रखो। यहाँ हम विशिष्ट चुनावी नियमों की तुलना कर रहे हैं, पूरे समाजों का एक अंक वाला मूल्यांकन नहीं। एक देश के भीतर भी अलग पदों के लिए अलग तरीके हो सकते हैं। मजबूत तुलना वही है जो पूछे कि किसि चुनाव में कौन मत देता है, सीटें कितनी हैं और मत को सीट में बदलने का नियम क्या है। [1][10]

अब तुम्हें एक नई चाबी मिली है: बराबर मताधिकार, सही गिनती और अनुपातिक प्रतिनिधित्व तीन अलग प्रश्न हैं। पहले पूछो कि कौन भाग ले सकता है, फिर कि मत ठीक दर्ज हुए या नहीं, फिर कि उनसे सीटें कैसे बनती हैं। अगला देश एक और प्रश्न उठाता है। यदि भागीदारी महत्वपूर्ण है, तो क्या मतदान करना केवल अधिकार होना चाहिए या कानूनी कर्तव्य भी? ब्राज़ील में इस बहस का एक अलग उत्तर मिलता है।

ब्राज़ील, भागीदारी और तुम्हारी अगली आवाज

अधिकार और कर्तव्य का प्रश्न

यदि मतदान समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या उसे कानूनी कर्तव्य बनाया जाना चाहिए? यह लोकतंत्रों में विचार-विमर्श का प्रश्न है। **अनिवार्य मतदान** का अर्थ आम तौर पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की कानूनी अपेक्षा होता है; यह किसी खास उम्मीदवार को चुनने का आदेश नहीं होना चाहिए। अलग देशों के नियम, छूट और अनुपस्थिति के परिणाम अलग होते हैं। एक शब्द सुनकर सब जगह एक ही व्यवस्था मान लेना गलत होगा। [11]

ब्राज़ील में साक्षर नागरिकों के लिए अठारह वर्ष से लेकर सत्तर वर्ष की आयु सीमा तक मतदान सामान्यतः अनिवार्य है; सोलह और सत्रह वर्ष के नागरिकों, सत्तर वर्ष से अधिक आयु वालों तथा निरक्षर नागरिकों के लिए यह वैकल्पिक है। सीमाओं की सटीक कानूनी भाषा आधिकारिक स्रोत में देखनी चाहिए। इससे तुम्हें तुरंत एक जरूरी बात समझ आती है: ब्राज़ील में हर व्यक्ति और हर आयु के लिए एक जैसा नियम नहीं है। [11]

जो व्यक्ति अनिवार्य श्रेणी में आता है और मतदान नहीं करता, उसके लिए अनुपस्थिति का औचित्य प्रस्तुत करने या चुनावी स्थिति नियमित करने की प्रक्रिया होती है। बिना उचित प्रक्रिया के अनुपस्थिति पर जुर्माना और चुनावी स्थिति से जुड़ी प्रशासनिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसे केवल वोट नहीं दिया तो जेल जैसी सनसनीखेज पंक्ति में बदलना गलत है। कानूनी व्यवस्था को उसकी वास्तविक श्रेणियों और उपायों सहित समझना चाहिए। [11]

ब्राज़ील के नियम में किशोरों के लिए वैकल्पिक मतदान तुम्हारी उम्र के निकट एक रोचक तुलना देता है, लेकिन यह भारत की पात्रता नहीं बदलता। भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की सामान्य न्यूनतम मतदान आयु अठारह वर्ष है। विदेश के किसी नियम को पसंद करना और अपने देश में उसी नियम का लागू होना अलग बातें हैं।



तुलना तुम्हारी सोच बढ़ाती है; वह कानून अपने-आप स्थानांतरित नहीं करती। [1][5][11]

अनिवार्यता के पक्ष और प्रश्न

अनिवार्य मतदान के पक्ष में एक तर्क है कि व्यापक भागीदारी से केवल सबसे अधिक संगठित या उत्साही समूहों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। लेकिन तर्क को परिणाम का स्वतः प्रमाण मत मानो। किसी व्यवस्था के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए आँकड़े, अनुपस्थिति के कारण और लागू करने का तरीका देखना पड़ता है। कानून में लिखा उद्देश्य और समाज में निकला परिणाम हमेशा एक ही चीज नहीं होते।

इसके विरुद्ध एक प्रश्न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है: क्या मतदान से दूर रहने का विकल्प भी राजनीतिक अभिव्यक्ति हो सकता है? दूसरा प्रश्न न्याय का है: यदि किसी के लिए मतदान तक पहुँचना कठिन है, तो दंड उस बाधा को और बढ़ा सकता है। ये गंभीर प्रश्न हैं। इसलिए किसी भी अनिवार्य व्यवस्था का मूल्यांकन करते समय छूट, सुगमता, उचित कारण स्वीकार करने की प्रक्रिया और प्रशासनिक बोझ पर ध्यान देना चाहिए।

भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सामान्य राष्ट्रव्यापी अनिवार्य मतदान का नियम नहीं है। मतदाता शिक्षा और भागीदारी प्रोत्साहन का महत्व बना रहता है। मतदान न करने वाले व्यक्ति को तुरंत आलसी या गैरजिम्मेदार कहना सही नहीं; बीमारी, काम, यात्रा, नाम संबंधी समस्या या अन्य बाधा हो सकती है। नागरिक चर्चा में भागीदारी को महत्व देना और अनुपस्थिति व्यक्ति के कारण समझना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। [5][12]

स्कूल के चुनाव में भी केवल उपस्थिति बच्चों को डाँट देना सबसे अच्छा उपाय नहीं होगा। पहले पता करो कि सूचना मिली थी या नहीं, समय सुविधाजनक था या नहीं और मत देने की प्रक्रिया स्पष्ट थी या नहीं। यदि चुनाव को महत्वपूर्ण बताया जाता है, लेकिन परिषद के पास कोई वास्तविक काम नहीं है, तो उत्साह कम हो सकता है। भागीदारी बढ़ाने का टिकाऊ तरीका प्रक्रिया को अर्थपूर्ण और सुलभ बनाना है।

सूचना की नागरिक जिम्मेदारी

मतदान स्वैच्छिक हो या अनिवार्य, स्वतंत्र निर्णय के लिए अच्छी जानकारी जरूरी है। किसी वायरल संदेश में लिखा हो कि फिलाँ देश में सौ प्रतिशत मतदान होता है, तो बिना स्रोत आगे मत भेजो। पूछा जाना चाहिए कि संख्या किस चुनाव की है, पंजीकृत मतदाताओं पर आधारित है या जनसंख्या पर और आधिकारिक आँकड़ा कहाँ है। साझा करने की गति से अधिक महत्वपूर्ण सूचना की सच्चाई है। लोकतंत्र में जल्दी हमेशा समझदारी नहीं होती।

एक छोटी जाँच-पद्धति अपनाओ: पहले मूल दावा अलग लिखो, फिर उसके लिए उपयुक्त स्रोत चुनो। मतदान आयु के लिए कानून या चुनावी संस्था, ऐतिहासिक तारीख के लिए विश्वसनीय इतिहास-स्रोत और परिणाम के लिए आधिकारिक सांख्यिकी देखो। किसी भावनात्मक वीडियो का प्रभाव वास्तविक हो सकता है, पर प्रभाव प्रमाण नहीं है। तस्वीर किसी घटना की हो सकती है और उसके साथ लिखा विवरण किसी दूसरी घटना का। संदर्भ की जाँच जरूरी है।

यदि तुम्हें अपनी साझा की हुई जानकारी गलत मिले, तो उसे चुपचाप भूल जाने की जगह स्पष्ट सुधार देना बेहतर है। लिख सकती हो कि पहले भेजे संदेश में वर्ष या संख्या गलत थी और सही स्रोत यह है। गलती मानना तुम्हारी विश्वसनीयता घटाने के बजाय उसे मजबूत कर सकता है। लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का मतलब कभी न बदलना नहीं; बेहतर प्रमाण आने पर अपना कथन जिम्मेदारी से बदल सकना है।

राजनीतिक जानकारी जुटाते समय अपनी और दूसरों की निजी जानकारी सुरक्षित रखो। किसी प्रतियोगिता या सर्वे के नाम पर पहचान दस्तावेज, पता या परिवार की मतदान पसंद माँगी जाए, तो विश्वसनीय वयस्क से सलाह लेना उचित है। सीखने के लिए वास्तविक निजी मतों का संग्रह आवश्यक नहीं। स्कूल में काल्पनिक आँकड़ों से भी अच्छी गणना की जा सकती है। जिज्ञासा और सावधानी अच्छी साथी हैं, विरोधी नहीं।

आवाज की गिनती चुनाव से आगे

अब अपनी स्कूल-योजना पर लौटो, लेकिन इसे वास्तविक घटना मत मानो। मान लो

तुम उम्मीदवार बनने पर विचार कर रही हो और समझ गई हो कि पिहले का कोई वादा तुम्हारी शक्ति से बाहर था। अगला अच्छा कदम वादा छिपाना नहीं, उसे सुधारना है। कह सकती हो कि निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम प्रस्ताव, चर्चा और प्रगति का सार्वजनिक विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास करोगी। ईमानदारी कभी-कभी कम चमकती है, पर अधिक टिकती है।

यदि तुम जीत जाओ, तो विरोधियों के मुद्दों की सूची भी सुनना उपयोगी होगा। यदि हार जाओ, तो प्रमाण के बिना गिनती पर आरोप लगाने की जगह अपनी योजना पर विचार करो और उचित शिकायत हो तो निर्धारित रास्ता अपनाओ। दोनों स्थितियों में विकास संभव है। लोकतांत्रिक परिपक्वता का मतलब निराशा न होना नहीं; निराशा के भीतर भी दूसरों की गरिमा और साझा नियमों को बचाए रखना है।

मतदान के बीच के समय में भी नागरिक आवाज रहती है। तुम्हारी आयु में स्कूल की चर्चा, जिम्मेदार प्रश्न, सुरक्षित सामूहिक सुझाव और बच्चों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी उपयोगी रास्ते हैं। हर विषय पर ऊँची आवाज या सार्वजनिक पोस्ट जरूरी नहीं। कभी ध्यान से सुनना, सही सूचना ढूँढ़ना और कम सुने गए व्यक्ति को बोलने का स्थान देना अधिक महत्वपूर्ण होता है। बाल अधिकार तुम्हारी आवाज को गंभीरता से लेने का आधार देते हैं। [2]

पूरी यात्रा का विचार अब साफ है: तुम्हारी आवाज का महत्व तब मजबूत होता है जब सबकी आवाज को न्यायपूर्ण अवसर मिले और मत ठीक गिने जाएँ। ऑस्ट्रेलिया से गोपनीयता, भारत से विशाल प्रशासन और स्याही, न्यूज़ीलैंड से अधिकारों का विस्तार, नॉर्वे से अनुपात तथा ब्राज़ील से भागीदारी की बहस समझी। अंतिम अध्याय तुम्हें स्रोतों की चाबी देगा, ताकि तुम इस पुस्तक पर अंधा विश्वास नहीं, जाँचने योग्य भरोसा रख सको।

स्रोत-पंजी: अपने भरोसे की जाँच करो

भारत के मूल दस्तावेज

यह स्रोत-पंजी पुस्तक में दिए चौकोर कोष्ठकों वाले अंकों की चाबी है। किसी अनुच्छेद के अंत में [1] का अर्थ है कि संबंधित तथ्य के लिए नीचे दिया पहला स्रोत देखा जा सकता है। एक स्रोत कई अध्यायों में उपयोग हुआ है। उदाहरणों की काल्पनिक संख्याएँ आधिकारिक आँकड़े नहीं हैं और स्कूल चुनाव की योजना शैक्षिक सुझाव है। स्रोत तथ्य की जाँच में मदद करते हैं; वे हर व्याख्या को अपने-आप निर्विवाद नहीं बनाते।

[1] भारत सरकार, विधायी विभाग: भारत का संविधान और उसके संशोधन; आधिकारिक प्रवेश-पृष्ठ https://legislative.gov.in/constitution-of-india/ । प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 54–55, 80, 75, 324–326 तथा राज्य निर्वाचन आयोगों से संबंधित प्रावधान उपयोगी हैं। इकसठवाँ संशोधन मतदान आयु के बदलाव का आधार है। किसी सरल व्याख्या और मूल संवैधानिक शब्दों में अंतर लगे, तो संबंधित अनुच्छेद पूरा पढ़ो; एक वाक्य को उसके अपवादों से अलग मत करो।

[12] भारत सरकार, इंडिया कोड: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; तथा संबंधित निर्वाचन नियम। आधिकारिक विधि-संग्रह https://www.indiacode.nic.in/ पर शीर्षक से खोजो। पहला अधिनियम मतदाता सूची और पात्रता के कई प्रश्नों में उपयोगी है; दूसरा चुनाव संचालन, पात्रता और निर्वाचन विवादों के अनेक विषयों में। कानून पढ़ते समय संशोधन सहित वर्तमान पाठ और लागू धारा देखना जरूरी है; यह पुस्तक व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं है।

[5] भारत निर्वाचन आयोग: मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम https://ecisveep.nic.in/ । पंजीकरण, प्रपत्र, सूची में नाम, आयु संबंधी अर्हता तिथियाँ और सुगम मतदान की जानकारी के लिए उपयोगी। पोर्टल पर दिखाई देने वाली सेवा और उसकी पात्रता ध्यान से पढ़ो। पहचान



पत्र होना तथा सूची में नाम होना अलग बातें हैं। अपनी आयु से पहले आवेदन करने की कल्पना करने के बजाय अभी प्रक्रिया समझना पर्याप्त है।

प्रशासन, उपकरण और परिणाम

[4] भारत निर्वाचन आयोग: चुनावी सांख्यिकीय रिपोर्टें, आम चुनाव 2019 के अभिलेख और आम चुनाव 2024 की घोषणा संबंधी आधिकारिक सामग्री; मुख्य प्रवेश-पृष्ठ https://www.eci.gov.in/ । वर्ष 2019 के लगभग नब्बे करोड़ पंजीकृत मतदाताओं और 2024 की घोषणा में छियानवे करोड़ से अधिक के संदर्भ के लिए इनका उपयोग करो। अलग चरणों की संख्या बदल सकती है। घोषणा के समय की सूची, अंतिम रिपोर्ट और वास्तव में पड़े मतों को एक ही आँकड़ा मत मानो।

[6] भारत निर्वाचन आयोग: आदर्श आचार संहिता और राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन; आधिकारिक प्रवेश-पृष्ठ https://www.eci.gov.in/ । प्रचार, सरकारी संसाधनों के उपयोग और चुनावी आचरण की चर्चा में यह उपयोगी है। संहिता और दंडात्मक कानूनों की भूमिका पूरी तरह समान नहीं है। किसी घटना को उल्लंघन कहने से पहले संबंधित नियम और तथ्य देखो। केवल अप्रिय लगना और कानून के तहत अपराध होना दो अलग निष्कर्ष हैं, जिनके लिए अलग आधार चाहिए।

[8] भारत निर्वाचन आयोग: ईवीएम–वीवीपैट के सामान्य प्रश्न, मतदाता मार्गदर्शन, मतदान अधिकारियों के निर्देश तथा अमिट स्याही संबंधी सामग्री; मुख्य वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर विषय से खोजो। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, पर्ची का दृश्य, नेटवर्क से असंबद्ध डिजाइन, नोटा और सामान्य मतदान प्रक्रिया के लिए उपयोगी। वीवीपैट सत्यापन या शिकायत की प्रक्रिया जैसे विवरण में वर्तमान निर्देश देखना आवश्यक है। तकनीक का वर्णन और उसके मूल्यांकन पर बहस अलग स्तर हैं।

इन भारतीय स्रोतों को साथ पढ़ने का एक तरीका अपनाओ। पहले प्रश्न लिखो कि तुम पात्रता, उपकरण, प्रचार या परिणाम में से क्या जानना चाहती हो। फिर उसी विषय का मूल स्रोत चुनो। किसी पुराने समाचार की भाषा को वर्तमान नियम का अंतिम रूप मत मानो। यदि निर्देश बदलने की संभावना हो, तो प्रकाशन की तारीख और नया

संस्करण खोजो। वेबसाइट का नाम सरकारी होना उपयोगी संकेत है, लेकिन सही दस्तावेज और सही समय पहचानना फिर भी तुम्हारा काम है।

दुनिया के चुनावी अनुभव

[7] ऑस्ट्रेलियाई निर्वाचन आयोग: ऑस्ट्रेलिया की चुनावी इतिहास-सामग्री और गुप्त मतदान के विकास पर शैक्षिक संसाधन; आधिकारिक प्रवेश-पृष्ठ https://www.aec.gov.au/ । वर्ष 1856 के विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया वाले संदर्भ तथा ऑस्ट्रेलियाई मतपत्र की अवधारणा के लिए उपयोगी। इस स्रोत को पढ़ते समय तत्कालीन उपनिवेश और बाद के संघीय देश में अंतर रखो। आधुनिक गुप्त मतदान का प्रभावशाली विकास, इतिहास में किसी भी प्रकार की गोपनीय पसंद की सर्वप्रथम घटना होने के बराबर दावा नहीं है।

[9] न्यूज़ीलैंड का आधिकारिक इतिहास-संसाधन, न्यूज़ीलैंड हिस्ट्री: महिला मताधिकार और 1893 के अभियान की सामग्री; https://nzhistory.govt.nz/ पर महिला मताधिकार विषय खोजो। महिलाओं के संसदीय मतदान अधिकार, माओरी महिलाओं की भागीदारी और 1919 में संसद का उम्मीदवार बनने की पात्रता के बीच अंतर समझने में उपयोगी। पहले स्वशासित देश वाली अभिव्यक्ति की सीमा बनाए रखो। मत देना, उम्मीदवार बनना और सामाजिक अवसरों में वास्तविक समानता एक ही तारीख से सिद्ध नहीं होते।

[10] नॉर्वे का निर्वाचन निदेशालय: संसदीय चुनाव, निर्वाचन प्रणाली, सीट आवंटन और समायोजन सीटों की आधिकारिक व्याख्या; https://www.valg.no/en/ । कुल 169 सीटें, 150 निर्वाचन-क्षेत्र सीटें, 19 समायोजन सीटें और समायोजन के लिए चार प्रतिशत सीमा की चर्चा इसी संदर्भ में है। किसी सीमा को सभी सीटों पर समान प्रतिबंध मत समझो। पुस्तक का पाँच–तीन–दो वाला उदाहरण केवल सीधा अनुपात दिखाता है; वह नॉर्वे की पूरी आधिकारिक गणना का स्थान नहीं लेता।

[11] ब्राज़ील का सर्वोच्च निर्वाचन न्यायालय: मतदान की अनिवार्यता, वैकल्पिक पात्रता, अनुपस्थिति का औचित्य और चुनावी स्थिति नियमित करने की जानकारी; https://www.tse.jus.br/ । आयु और साक्षरता से जुड़ी श्रेणियों तथा अनुपस्थिति के परिणामों के लिए उपयोगी। सामान्य वाक्य पढ़कर किसी विशेष

व्यक्ति का कानूनी निष्कर्ष मत निकालो। उस समय की पात्रता और प्रक्रिया देखो। अनिवार्य भागीदारी को किसी विशेष उम्मीदवार के समर्थन की अनिवार्यता समझना गलत है; दोनों अलग प्रश्न हैं।

बाल अधिकार और जाँच की आदत

[2] संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय: बाल अधिकार अभिसमय, विशेषकर अनुच्छेद 12 में बच्चों की राय और अनुच्छेद 2 में भेदभाव से सुरक्षा; https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/conve । यह बच्चों की आवाज को गंभीरता से लेने का आधार देता है। इसका अर्थ हर निर्णय का अंतिम अधिकार बच्चे को मिलना नहीं है। आयु और परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व, सुरक्षा तथा जिम्मेदार वयस्क भूमिका को साथ पढ़ना चाहिए; केवल एक सुविधाजनक पंक्ति चुनना पर्याप्त नहीं।

[3] संयुक्त राष्ट्र: विश्व बाल दिवस की पृष्ठभूमि और बीस नवंबर की तारीख का इतिहास; https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day । वर्ष 1959 की घोषणा और 1989 के अभिसमय से संबंधित तारीख समझने के लिए उपयोगी। यह किसी विशेष स्कूल में चुनाव होने का प्रमाण नहीं है। पुस्तक में इस दिन परिषद की गतिविधि रिखने का विचार शिक्षण के लिए दिया गया है। किसी अंतरराष्ट्रीय दिवस का अस्तित्व और किसी संस्था की स्थानीय योजना अलग प्रकार की जानकारी हैं, जिन्हें मिलाना नहीं चाहिए।

अब स्रोत-जाँच का छोटा अभ्यास करो। दावा है कि भारत में हर चुनाव सबसे अधिक मत वाले एक उम्मीदवार को जिताता है। संविधान में राष्ट्रपति और राज्यसभा वाले प्रावधान देखकर तुम इसकी सीमा पहचान सकती हो। दूसरा दावा है कि नॉर्वे में चार प्रतिशत से कम मत मिलने पर कोई सीट मिल ही नहीं सकती। आधिकारिक निर्वाचन व्याख्या देखकर तुम समायोजन सीट और निर्वाचन-क्षेत्र सीट का अंतर खोज सकती हो। अच्छा पाठक केवल तथ्य जोड़ता नहीं, अत्यधिक सामान्य दावे को छोटा और सही भी करता है।

अंत में अपनी स्वतंत्र सीखने की कसौटी रखो: क्या तुम किसी दावे का स्रोत बता

सकती हो, उसकी सीमा समझा सकती हो और नया प्रमाण आने पर उसे सुधार सकती हो? यही पुस्तक की अंतमि नागरकि क्षमता है। स्याही का नशिान समय के साथ चला जाता है, लेकनि न्यायपूर्ण प्रक्रयिा के लएि प्रश्न पूछने की आदत टकि सकती है। तुम्हारी आवाज मूल्यवान है; उसे अधकि मजबूत बनाने का रास्ता दूसरों की आवाज, सही गनिती और जाँचने योग्य जानकारी का समान सम्मान करना है।

Plyx द्वारा 🇳🇴 में ❤️ के साथ बनाया गया

अपने digital और audio edition के लिए scan करें